

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: कांडिका 1; पृष्ठ 1)

राज्य का परिचय

अ. सामान्य आँकड़ें						
क्रम सं.	विवरण				आँकड़े	
1	क्षेत्रफल				94,163 वर्ग कि.मी.	
2	2011 के जनगणना के अनुसार				10.38 करोड़	
3	जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)				1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	
4	गरीबी रेखा के नीचे का जनसंख्या (बी.पी.एल.) (राष्ट्रीय औसत = 21.90 प्रतिशत)				33.70 प्रतिशत	
5	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 73.00 प्रतिशत)				61.80 प्रतिशत	
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जन्म पर) (राष्ट्रीय औसत = 37 प्रति 1000 जन्म पर)				42	
7	जन्म से जीवन प्रत्याशा (राष्ट्रीय औसत = 68.30 वर्ष)				68.40 वर्ष	
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 2016-17 के चालू मूल्य पर (₹ करोड़ में)				4,38,030	
9	प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. ¹ सी.ए.जी.आर. ² (2007-08 से 2016-17)				बिहार	14.70
					सामान्य श्रेणी के राज्य	13.20
10	जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर. (2007-08 से 2016-17)				बिहार	16.20
					सामान्य श्रेणी के राज्य	15.20
11	जनसंख्या वृद्धि (2007-08 से 2016-17)				बिहार	12.40
					सामान्य श्रेणी के राज्य	11.90
ब. वित्तीय आँकड़े						
क्रम सं.	विवरण		आँकड़े (प्रतिशत में)			
1	सी0ए0जी0आर0		2007-08 से 2015-16		2015-16 से 2016-17	
			सामान्य श्रेणी के राज्य	बिहार	सामान्य श्रेणी के राज्य	बिहार
	क	राजस्व प्राप्तियों का	14.58	16.56	11.52	9.84
	ख	स्वंकर राजस्व का	14.80	22.30	13.50	(-) 6.71
	ग	गैर कर राजस्व का	9.45	19.50	12.10	9.95
	घ	कुल व्यय का	15.84	17.42	15.31	12.83
	ड	पूँजीगत व्यय का	14.53	10.56	17.91	20.88
	च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	16.86	16.49	9.86	2.87
	छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	18.43	15.30	14.92	34.46
	ज	वेतन एवं मजदूरी का	14.89	11.01	13.06	5.76
	झ	पेंशन का	17.17	19.80	10.63	5.78

(स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्रेस विज्ञापित दिनांक 01.08.2017)।

¹ जी.एस.डी.पी. = सकल राज्य घरेलू उत्पाद।

² सी.ए.जी.आर. = मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर।

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ: कांडिका 1.1; पृष्ठ 1)

भाग-क: सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा

सरकारी लेखे की संरचना : सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है (i) संचित निधि (ii) आकस्मिकता निधि एवं (iii) लोक लेखा

भाग I संचित निधि : सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को निर्गत कर इकट्ठा किए गए सभी ऋण, वाह्य एवं आंतरिक ऋण एवं ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक संचित निधि का निर्माण करेंगे जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य की संचित निधि" कहा जाता है ।

भाग II आकस्मिकता निधि : संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के व्ययन हेतु एक कोष है जो विधानमंडल के लंबित प्राधिकार तक आवश्यक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हेतु अग्रिम मुहैया करता है। तत्पश्चात्, विधान मंडल से ऐसे व्यय एवं संचित निधि से समतुल्य राशि की निकासी हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिससे आकस्मिकता निधि से अग्रिम निधि की प्रतिपूर्ति हो जाती है।

भाग III लोक लेखा : कुछ विशेष लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा उचंत, प्रेषण इत्यादि जो संचित निधि का अंश नहीं है, से संबंधित प्राप्तियाँ एवं भुगतान संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं एवं विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं ।

परिशिष्ट 1.2 भाग ख : वित्त लेखे की रूपरेखा

विवरणी	रूपरेखा
	वित्त लेखे दो भागों में वितरित है। भाग I सरकार के वित्तीय विवरण के सारांशीकृत रूप में और भाग II में विस्तृत विवरण प्रस्तुत है। भाग I में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रमाण-पत्र, 13 सारांश विवरण और लेखाओं की योजना पर टिप्पणी को सम्मिलित करते हुए नीचे दिया गया है।
विवरण संख्या 1	वित्तीय स्थिति का विवरण : यह विवरणी वर्ष के अंत में राज्य सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों की स्थिति तथा गत वर्ष की समाप्ति पर उनकी स्थिति से तुलित करते हुए दर्शाता है।
विवरण संख्या 2	प्राप्तियों एवं संचितरणों का विवरण : यह विवरणी राज्य सरकार के चालू वर्ष में सरकारी लेखे के तीन भागों, यथा-समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में कुल प्राप्तियों तथा संचितरणों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, इसमें सरकार के रोकड़ शेष (निवेश सहित) के वैकल्पिक वर्णन को दर्शाते हुए एक अनुसूची शामिल होता है। परिशिष्ट सरकार के अर्थोपाय अग्रिम की स्थिति का भी विस्तृत रूप में उल्लेख करता है ।
विवरण संख्या 3	प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि) : इस विवरणी में राज्य सरकार के राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ (विनिवेश, उधार और राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ सहित) सम्मिलित होता है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरणियाँ 14, 17 तथा 18 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 4	व्यय की विवरण (समेकित निधि) : वित्त लेखे में लघु शीर्ष स्तर के सामान्य वर्णन से इतर, यह विवरणी व्यय की व्यवहारिक प्रवृत्ति (व्यय के उद्देश्यों) का भी सविस्तार वर्णन प्रदान करता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरणी 15, 16, 17 तथा 18 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 5	प्रणामी पूँजीगत व्यय का विवरण : यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 16 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 6	उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण : सरकार के उधार में उसके द्वारा लिए गए बाजार ऋण (आंतरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त कर्ज तथा अग्रिम सम्मिलित होते हैं। 'अन्य दायित्वों' में 'लघु बचत, भविष्य निधि आदि, 'आरक्षित निधि तथा 'जमा' सम्मिलित होते हैं। इस विवरणी में ऋणशोधन कार्य संबंधी एक टिप्पणी होता है और यह खण्ड II में विस्तृत विवरण 17 के अनुरूप होता है।

परिशिष्ट 1.2 भाग-ख : वित्त लेखे की रूपरेखा	
विवरण	रूपरेखा
विवरण संख्या 7	सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा पेशगियों का विवरण : यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ऋणग्राहियों जैसे-सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्ताओं (सरकारी सेवक सहित) को दिए गए कुल कर्ज तथा पेशगियों को दर्शाता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 18 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 8	सरकार के निवेशों का विवरण : यह विवरणी राज्य सरकार का सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों के समता पूँजी में किए गए निवेश को दर्शाता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 19 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 9	सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विवरण : यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिए गए कर्जों पर मूलधन तथा ब्याज के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का सारांश प्रस्तुत करता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 20 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 10	सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण : यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अनुदानग्राहियों जैसे- सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्ति विशेष को दिए गए कुल सहायता अनुदानों को दर्शाता है। परिशिष्ट III प्राप्तकर्ता संस्थानों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है।
विवरण संख्या 11	दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण : यह विवरणी वित्त लेखे में प्रदर्शित निवल आँकड़ों को विनियोग लेखे में प्रदर्शित सकल आँकड़ों के साथ अनुरूपता दर्शाने में सहायता करता है।
विवरण संख्या 12	राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण : यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय की प्रतिपूर्ति राजस्व प्राप्तियों से होना चाहिए जबकि पूँजीगत व्यय को राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के आदि रोकड़ शेष तथा उधारों से पूरित होना चाहिए।
विवरण संख्या 13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सार : यह विवरणी लेखे की शुद्धता को प्रमाणित करने में सहायता करता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरणी 14, 15, 16, 17, 18 तथा 21 के अनुरूप होता है।
वित्त लेखे के खण्ड II में दो भाग होते हैं- भाग- I में नौ विस्तृत विवरणियाँ तथा भाग II में 13 परिशिष्टें।	
विवरण संख्या 14	लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरणी 3 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 15	लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण : यह विवरणी, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरणी 4 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार के योजना (राज्य योजना, राज्य योजना को केंद्रीय सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना तथा केंद्रीय योजना) एवं गैर योजना के अधीन हुए राजस्व व्यय को दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय अलग-अलग दर्शाए जाते हैं।
विवरण संख्या 16	लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण : यह विवरणी, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 5 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार के योजना (राज्य योजना, राज्य योजना को केंद्रीय सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना तथा केंद्रीय योजना) एवं गैर-योजना के अधीन हुए पूँजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी रूप से) को दर्शाता है। पूँजीगत व्यय को लघु शीर्ष के स्तर तक विस्तृत वर्णन करने के अतिरिक्त, यह विवरणी महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में उपशीर्ष के स्तर को भी दर्शाता है।

विवरण	रूपरेखा
विवरण संख्या 17	उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 6 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण (बाजार ऋण, बन्ध पत्र, केंद्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थानों से कर्ज, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ आदि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारित अर्थोपाय अग्रिम के विस्तृत वर्णन को सम्मिलित करता है। यह विवरणी ऋण संबंधी सूचना को तीन श्रेणियों : (क) प्रत्येक ऋण का विस्तृत विवरण; (ख) परिपक्वता पार्श्वचित्र अर्थात् प्रत्येक वर्ष में विभिन्न श्रेणी के ऋण के सापेक्ष भुगतेय राशि; तथा (ग) बकाए ऋण का ब्याज दर पार्श्वचित्र एवं अनुलग्नक बाजार ऋण को प्रदर्शित करता है।
विवरण संख्या 18	सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा पेशागियों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 7 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी, विवरणी संख्या 16 तथा 19 के मध्य विसंगतियों, यदि कोई हो, का विवरण इकाई वार तथा मुख्य एवं लघु शीर्ष वार प्रस्तुत करता है। यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 8 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 20	सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का इकाई वार विवरण प्रस्तुत करता है। यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 9 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 21	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी लघु शीर्ष स्तर तक वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि में अप्रतिपूरित राशियों, लोक लेखे के संव्यवहारों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाए रोकड़ शेष को विस्तृत रूप में दर्शाता है। यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 13 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 22	उद्दिष्ट निधियों के निवेशों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी आरक्षित निधि एवं जमा (लोक लेखा) से किए गए निवेशों को विस्तृत रूप में दर्शाता है।

(स्रोत : वित्त लेखे वर्ष 2016-17)

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ: कांडिका 1.1.1 पृष्ठ 1)

वर्ष 2016-17 की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ				संवितरण						
2015-16			2016-17	2015-16		2016-17				
						गैर योजना	योजना	योग		
खण्ड: अ राजस्व										
96,123.10	I	राजस्व प्राप्तियाँ	1,05,584.99	83,615.94	I	राजस्व व्यय	61,189.34	33,575.84	94,765.18	
25,449.18		कर राजस्व	23,742.26	27,972.30		सामान्य सेवाएँ	30,086.62	520.38	30,607.00	
2,185.64		करेत्तर राजस्व	2,403.12	35,943.04		सामाजिक सेवाएँ	14,667.06	26,069.57	40,736.63	
48,922.68		संघीय करों का राज्यांश	58,880.59	18,605.32		शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति	8,839.55	10,312.36	19,151.91	
3,434.43		गैर योजना अनुदान	4,505.51	3,480.57		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,660.03	1,962.43	4,622.46	
13,886.33		राज्य योजना हेतु अनुदान	13,952.92	3,694.34		जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	1,801.09	5,662.18	7,463.27	
2,244.84		केंद्रीय एवं केंद्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	2,100.59	140.90		सूचना एवं प्रसारण	82.58	49.88	132.46	
				4,055.64		अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	142.16	2,084.79	2,226.95	
				174.05		श्रम एवं श्रम कल्याण	95.67	292.13	387.80	
				5,739.12		समाज कल्याण एवं पोषाहार	989.87	5,707.74	6,697.61	
				53.10		अन्य	56.11	(-) 1.94	54.17	
				19,696.39		आर्थिक सेवाएँ	16,431.36	6,985.89	23,417.25	
				3,515.00		कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	792.51	1,494.05	2,286.56	
				4,921.49		ग्रामीण विकास	5,747.32	2,604.98	8,352.30	
				0.00		विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	
				1,151.38		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	917.64	130.62	1,048.26	
				6,151.41		ऊर्जा	6,960.91	737.38	7,698.29	
				1,200.80		उद्योग एवं खनिज	150.27	737.29	887.56	
				1,712.33		परिवहन	1,612.09	175.10	1,787.19	
				0.00		विज्ञान, प्रावैधिकी एवं पर्यावरण	0.00	0.00	0.00	
				1,043.99		सामान्य आर्थिक सेवाएँ	250.62	1,106.47	1,357.09	
				4.21		सहायता अनुदान एवं अंशदान	4.30	0.00	4.30	
			1,05,584.99	83,615.94		कुल			94,765.18	
	II	खण्ड ब में ले जाए गए राजस्व घाटे		12,507.16	II	खण्ड ब में से ले जाए गए राजस्व अधिशेष			10,819.81	
96,123.10		कुल	1,05,584.99	96,123.10		कुल			1,05,584.99	

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2015-16			2016-17	2015-16		2016-17			
						गैर योजना	योजना	योग	
खण्ड ब अन्य									
6,337.11	III	स्थायी अग्रिम तथा रोकड़ शेष निवेश को शामिल करते हुए आरंभिक रोकड़ शेष	11,716.72		III	भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक ओवर ड्राफ्ट			
	IV	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ		23,966.02	IV	पूँजीगत परिव्यय	16.49	27,191.91	27,208.40
				3,617.03		सामान्य सेवाएँ	3.60	2,086.75	2,090.35
				2,740.48		सामाजिक सेवाएँ	12.89	3,579.60	3,592.49
				549.82		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	0.00	1,074.46	1,074.46
				1,090.75		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.00	870.43	870.43
				823.52		जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	12.89	1,309.77	1,322.66
				(-0.05)		सूचना एवं प्रसारण	0.00	0.00	0.00
				18.60		अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0.00	21.43	21.43
				101.00		समाज कल्याण एवं पोशाहार	0.00	63.70	63.70
				156.84		अन्य सामाजिक सेवाएँ	0.00	239.81	239.81
				17,608.51		आर्थिक सेवाएँ	0.00	21,525.56	21,525.56
				604.93		कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	0.00	127.89	127.89
				8,012.63		ग्रामीण विकास	0.00	7,891.74	7,891.74
				0.00		विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
				1,684.65		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.00	1,795.68	1,795.68
				2,793.96		ऊर्जा	0.00	5,738.56	5,738.56
				29.34		उद्योग एवं खनिज	0.00	228.11	228.11
				4,417.33		परिवहन	0.00	5,601.20	5,601.20
				65.65		सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0.00	142.38	142.38
18.50	V	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	23.31	621.23	V	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	41.57	72.30	113.87
3.65		विद्युत परियोजनाओं/ अन्य से	7.99	140.78		विद्युत परियोजनाओं हेतु	17.75	57.30	75.05
14.85		सरकारी सेवकों से	15.32	23.00		सरकारी सेवकों को	21.38	0.00	21.38
		अन्य से		457.45		अन्य से	2.44	15.00	17.44
12,507.16	VI	राजस्व आधिक्य नीचे ले जाए गए	10,819.81		VI	राजस्व घाटा नीचे ले जाए गए			
18,383.01	VII	लोक ऋण प्राप्तियाँ	21,576.76	4,124.85	VII	लोक ऋण का पुनर्भुगतान			4,214.57
		बाहरी ऋण				बाहरी ऋण			

प्राप्तियाँ				संवितरण				
2015-16		2016-17		2015-16		2016-17		
						गैर योजना	योजना	योग
17,565.04		अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण	20,065.17		3,422.74			3,460.49
		अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन						
		ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन						
817.97		केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,511.59		702.11			754.08
		अंतर्राज्यीय समाशोधन						
4,477.41	VIII	आकस्मिकता निधि को विनियोजन		5,437.85	4,477.41	VIII		5,437.85
	IX	आकस्मिकता निधि को राशि का हस्तांतरण				IX		
49,105.88	X	लोक लेखा प्राप्तियाँ		61,730.38	45,922.84	X		57,267.94
1203.48		लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ	1263.08				1163.45	
1,760.84		आरक्षित निधि	1,074.88				1,204.03	
628.29		उचंचत एवं विविध	660.28				1,554.67	
10,619.24		प्रेषण	9,536.13				9,543.18	
34,894.03		जमा एवं अग्रिम	49,196.01				43,802.61	
	XI	भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट			11,716.72	XI		17,062.20
					124.56		114.90	
					558.08		527.86	
					11,034.08		16,419.44	
1,86,952.17		योग	2,16,889.82		1,86,952.17			2,16,889.82

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष, 2016-17)

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: कडिका 1.1.3; पृष्ठ 5)

वर्ष 2016-17 के लिए बजट प्राक्कलन यथा वास्तविकी

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविकी	आधिक्य (+)/ घाटा (-)	प्रतिशतता आधिक्य(+)/ घाटा (-)
राजस्व प्राप्तियाँ	1,24,590.24	1,05,584.99	(-)19,005.25	(-)15.25
स्वंकर राजस्व	29,730.27	23,742.26	(-)5,988.01	(-)20.14
करेतर राजस्व	2,358.11	2,403.12	45.01	1.91
संघीय करों एवं शुल्कों में अंश	58,359.72	58,880.59	520.87	0.89
भारत सरकार से सहायता अनुदान	34,142.14	20,559.02	(-)13,583.12	(-)39.78
राजस्व व्यय	1,09,940.78	94,765.18	(-)15,175.60	(-)13.80
सामान्य सेवाएँ	36,184.67	30,607.00	(-)5,577.67	(-)15.41
राज्य का अंग	1,335.96	1,052.87	(-)283.09	(-)21.19
राजकोषीय सेवाएँ	1,088.76	735.51	(-)353.25	(-)32.45
ब्याज भुगतान एवं कर्ज परिशोधन	8,740.94	8,773.56	32.62	0.37
प्रशासनिक सेवाएँ	8,733.71	7,537.07	(-)1,196.64	(-)13.70
पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएँ	16,285.30	12,507.99	(-)3,777.31	(-)23.19
सामाजिक सेवाएँ	47,146.59	40,736.63	(-)6,409.96	(-)13.60
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	21,769.61	19,151.91	(-)2,617.71	(-)12.02
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6,792.80	4,622.46	(-)2,170.34	(-)31.95
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	5,893.58	7,463.27	1,569.69	26.63
सूचना एवं प्रसारण	202.72	132.46	(-)70.26	(-)34.66
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3,582.81	2,226.95	(-)1,355.85	(-)37.84
श्रम एवं श्रम कल्याण	726.70	387.80	(-)338.90	(-)46.64
समाज कल्याण एवं पोषाहार	8,098.04	6,697.61	(-)1,400.43	(-)17.29
अन्य	80.33	54.17	(-)26.16	(-)32.57
आर्थिक सेवाएँ	26,604.53	23,417.25	(-)3,187.28	(-)11.98
कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ	4,031.93	2,286.56	(-)1,745.37	(-)43.29
ग्रामीण विकास	10,629.73	8,352.30	(-)2,277.43	(-)21.43
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,152.23	1,048.26	(-)103.97	(-)9.02
ऊर्जा	5,347.18	7,698.29	2,351.11	43.97
उद्योग एवं खनिज	964.61	887.56	(-)77.05	(-)7.99
परिवहन	2,055.76	1,787.19	(-)268.57	(-)13.06
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	2,423.09	1,357.09	(-)1,066.00	(-)43.99
सहायता अनुदान एवं अंशदान	4.99	4.30	(-)0.69	(-)13.83
पूँजीगत व्यय	34,755.49	27,208.40	(-)7,547.09	(-)21.71
सामान्य सेवाएँ	2,959.84	2,090.35	(-)869.49	(-)29.38
सामाजिक सेवाएँ	3,924.07	3,592.49	(-)331.58	(-)8.45
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1,052.92	1,074.46	21.54	2.05
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	924.75	870.43	(-)54.32	(-)5.87
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	1,435.29	1,322.66	(-)112.63	(-)7.85
सूचना एवं प्रसारण	0.00	0.00	0.00	0.00
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	37.00	21.43	(-)15.57	(-)42.08
समाज कल्याण एवं पोषाहार	474.11	63.70	(-)410.41	(-)86.56
अन्य	0.00	239.81	239.81	239.81
आर्थिक सेवाएँ	23,223.13	21,525.56	(-)1,697.57	(-)7.31
कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ	243.75	127.89	(-)115.86	(-)47.53
ग्रामीण विकास	6,244.44	7,891.74	1,647.30	26.38
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,695.22	1,795.68	100.46	5.93
ऊर्जा	8,582.51	5,738.56	(-)2,843.95	(-)33.14
उद्योग एवं खनिज	109.98	228.11	118.13	107.41
परिवहन	5,668.07	5,601.20	(-)66.87	(-)1.18
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	679.16	142.38	(-)536.78	(-)79.04
राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-)	14,649.46	10,819.81	(-)3,829.65	(-)26.14
राजकोषीय घाटा (-)	16,014.26	16,479.15	464.89	2.90
प्राथमिक आधिक्य (+)/घाटा (-)	(-) 7835.44	(-) 8,288.45	453.01	5.78

(स्रोत: बिहार सरकार का बजट प्राक्कलन एवं वित्त लेखे, वर्ष 2016-17)

परिशिष्ट-1.5

(संदर्भ: कांडिका 1.2.2; पृष्ठ 7)

राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला आँकड़े

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
खंड अ प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	59,567	68,919	78,417	96,123	1,05,585
(i) कर राजस्व	16,253 (27)	19,961 (29)	20,750 (26)	25,449 (26)	23,742 (23)
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	8,671 (53)	8,453 (42)	8,607 (41)	10,603 (42)	11,873 (50)
राज्य उत्पाद	2,430 (15)	3,168 (16)	3,217 (16)	3,142(12)	30(0)
वाहन पर कर	673 (4)	837 (4)	964 (5)	1081(4)	1257(5)
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	2,173 (14)	2,712 (14)	2,699 (13)	3,409(13)	2,982(13)
भू-राजस्व	205 (1)	202 (1)	277 (1)	695(3)	971(4)
माल एवं यात्री कर	1,932 (12)	4,349 (22)	4,451 (21)	6,087(24)	6,245(26)
अन्य कर	169 (1)	240 (1)	535 (3)	432(2)	384(2)
(ii) करेतर राजस्व	1,135 (2)	1,545 (2)	1,558 (2)	2,186(2)	2,403(2)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	31,901 (54)	34,829 (51)	36,963 (47)	48,923 (51)	58,881 (56)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	10,278 (17)	12,584 (18)	19,146 (24)	19,565 (21)	20,559 (19)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	25	15	1493	19	23
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	59,592	68,934	79,910	96,142	1,05,608
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	9,554	9,907	13,917	18,383	21,577
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	9,046	9,357	13,199	17,565	20,065
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	508	550	718	818	1512
6. अंतर्राज्यीय समाशोधन	-	-	-	-	-
7. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5+6)	69,146	78,841	93,827	1,14,525	1,27,185
8. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
9. लोक लेखा प्राप्तियाँ	27,066	33,458	40,251	49,106	61,730
10. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (7+8+9)	96,212	1,12,299	1,34,078	1,63,631	1,88,915
खंड ब व्यय/संवितरण					
11. राजस्व व्यय	54,466	62,477	72,570	83,616	94,765
योजना	16,892 (31)	19,096 (31)	25,511 (35)	29,651(35)	33,576(35)
गैर-योजना	37,574 (69)	43,381 (69)	47,059 (65)	53,965(65)	61,189(65)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	18,645 (34)	22,018 (35)	26,408 (36)	27,972(33)	30,607(32)
सामाजिक सेवाएँ	23,107 (43)	26,395 (42)	31,713 (44)	35,943(43)	40,737(43)
आर्थिक सेवाएँ	12,710 (23)	14,060 (23)	14,445 (20)	19,697(24)	23,417(25)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	4	4	4	4	4
12. पूँजीगत व्यय	9585	14001	18150	23966	27208
योजना	9,492 (99)	13,904 (99)	18,092 (99)	23,930(99)	27,192(100)
गैर-योजना	93(1)	97(1)	58 (1)	36(1)	16(0)
सामान्य सेवाएँ	717(7)	1,333(10)	1,748 (10)	3,617(15)	2,090(8)
सामाजिक सेवाएँ	1,331(14)	1,858(13)	1674 (9)	2,740(11)	3,592(13)
आर्थिक सेवाएँ	7,537(79)	10,810(77)	14,728 (81)	17,609(74)	21,526(79)
13. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	2,086	807	369	621	114
14. कुल (11+12+13)	66,137	77,285	91,089	1,08,203	1,22,087
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	3,070	3,120	3,609	4,125	4,215
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	2,585	2,559	2,975	3,423	3,461
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	485	561	634	702	754
16. आकस्मिकता निधि को विनियोजन					
17. अंतर्राज्यीय समाशोधन	-	-	-	-	-
18. संचित निधि से कुल सवितरण (14+15+16+17)	69,207	80,405	94,698	1,12,328	1,26,302
19. आकस्मिकता निधि सवितरण	-	-	-	-	-
20. लोक लेखा सवितरण	24,799	29,453	39,200	45,923	57,268
21. राज्य द्वारा कुल सवितरण (18+19+20)	94,006	1,09,858	1,33,898	1,58,251	1,83,570
खंड स घाटा					
22. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-11)	5,101	6,442	5,847	12,507	10,820
23. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4-14)	(-) 6,545	(-) 8,351	(-)11,179	(-)12,061	(-)16,479
24. प्रारंभिक घाटा/ प्रारंभिक आधिक्य (23+25)	(-)2,117	(-) 2,892	(-)5,050	(-)4,963	(-)8,288
खंड द अन्य आँकड़ें					
25. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	4,428	5,459	6,129	7,098	8,191
26. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता	17,454	18,935	22,359	26,426	36,209
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) [@]	2,82,368	3,17,101	3,42,951	3,81,501	4,38,030
28. लंबित राजकोषीय देयताएँ (वर्ष के अंत में)	76,503	86,939	99,056	1,16,578	1,38,722
29. लंबित प्रत्याभूति (वर्ष के अंत में)	1,089	1,090	2,001	4,721	4,460
30. अधिकतम दी गई गारंटी (वर्ष के अंत में)	2,046	2,587	5,315	9,397	13,053
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	298	227	211	144	130
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	1,488	1,274	1,301	1,728	1,521
खंड ई राजकोषीय स्थिति का संकेतक					
I संसाधन संग्रहण (प्रतिशत में)					
स्वकर राजस्व/जी.एस.डी.पी.	5.76	6.29	6.05	6.67	5.42
करेत्तर राजस्व/जी.एस.डी.पी.	0.40	0.49	0.45	0.57	0.55
केंद्रीय स्थानांतरण/जी.एस.डी.पी.	11.30	10.98	10.78	12.82	13.44
II व्यय प्रबंधन (प्रतिशत में)					
कुल व्यय/जी.एस.डी.पी.	23.42	24.37	26.56	28.36	27.87
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	111.03	112.14	116.16	112.57	115.63
राजस्व व्यय/कुल व्यय	82.35	80.84	79.67	77.28	77.62
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	34.94	34.15	34.82	33.22	33.37
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	19.22	18.19	15.86	18.20	19.18
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	14.49	18.12	19.93	22.15	22.29
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	13.41	16.39	18.01	18.81	20.57
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन (प्रतिशत में)					
राजस्व आधिक्य/जी.एस.डी.पी.	1.81	2.03	1.70	3.28	2.47
राजकोषीय घाटा/जी.एस.डी.पी.	(-) 2.32	(-) 2.63	(-) 3.26	(-) 3.16	(-) 3.76
प्राथमिक आधिक्य/जी.एस.डी.पी.	(-) 0.75	(-) 0.91	(-) 1.47	(-) 1.30	(-) 1.89
राजस्व आधिक्य/राजकोषीय घाटा	(-) 77.94	(-) 77.14	(-) 52.30	(-) 103.70	(-) 65.66
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन (प्रतिशत में)					
राजकोषीय दायित्व/जी.एस.डी.पी.	27.09	27.42	28.88	30.56	31.67
राजकोषीय दायित्व/राजस्व प्राप्तियाँ	128.43	126.15	126.32	121.28	131.38
राजकोषीय दायित्व/राज्य का स्वसंसाधन	439.98	404.25	444.04	421.85	530.59

कोष्ठक में दिए गए आँकड़े प्रत्येक उप-शीर्षों के कुल प्रतिशतता दिखलाते हैं।

@ सरकार द्वारा अपनाई गई सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आँकड़े

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2016-17)

परिशिष्ट-1.6

(संदर्भ: कंडिका 1.5.1; पृष्ठ 21)

31 मार्च 2017 को बिहार सरकार के सारांशीकृत वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31/3/2016 तक	देयताएँ		31/3/2017 तक
79,990.32	आंतरिक ऋण		96,595.00
	ब्याज सहित बाजार ऋण	64,988.93	
	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.21	
	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	21.55	
	अन्य संस्थाओं से ऋण	31,584.31	
8,838.31	केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम		9,595.81
	1984-85 से पूर्व ऋण	3.91	
	गैर-योजना ऋण	54.02	
	राज्य योजना के लिए ऋण	9,493.38	
	केंद्रीय योजना के लिए ऋण	1.01	
	केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु ऋण	0.53	
	अर्थोपाय अग्रिम के लिए योजनाओं	42.96	
350.00	आकस्मिकता निधि		350.00
8,791.50	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि		8,891.14
17,522.74	जमा		22,916.84
4,269.58	आरक्षित निधि		4,140.43
74.01	अंतर्राज्यीय समाशोधन		74.01
46,142.07	सरकारी लेखा में आधिक्य		56,961.88
	(i) घटावें चालू वर्ष का राजस्व अधिशेष	10,819.81	
	(ii) वर्ष के प्रारंभ में संचित अधिशेष	46,142.07	
1,65,978.53			1,99,525.11
	परिसम्पत्तियाँ		
1,28,001.82	स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय		1,55,210.22
	कंपनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	15,916.47	
	अन्य पूँजीगत परिव्यय	1,39,293.75	
20,857.73	ऋण एवं अग्रिम		20,948.29
	ऊर्जा परियोजना हेतु ऋण	15,520.91	
	अन्य विकास ऋण	5,342.02	
	सरकारी सेवकों को ऋण तथा विविध ऋण	85.36	
1,186.60	प्रेषण		1,193.65
150.69	अग्रिम		151.39
4,064.97	उचंत एवं विविध शेष		4,959.36
11,716.72	रोकड़		17,062.20
	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		
	रिजर्व बैंक में जमा	114.90	
	विभागीय रोकड़ शेष	185.60	
	स्थायी अग्रिम	342.26	
	उद्दिष्ट निधियों के सहित रोकड़ शेष निवेश	16,419.44	
1,65,978.53			1,99,525.11

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2016-17)

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: कड़िका 2.3.1; पृष्ठ 28)

विगत वर्षों में प्रावधान से आधिक्य जिसके नियमन की आवश्यकता है

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	वर्ष	अनुदान/ विनियोजन की संख्या	अनुदान/ विभाग संख्या एवं नाम	नियमन के लिए लंबित आधिक्य राशि	आधिक्य राशि के नियमन की स्थिति	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1977-78	24	वन	0.06	अधिक व्यय के नियमन पर वित्त विभाग के मंतव्य से लोक लेखा समिति को अवगत कराया जा चुका है।	
2	1978-79	27	खानों एवं खनिजों	0.32	अधिक व्यय के नियमन पर वित्त विभाग के मंतव्य से लोक लेखा समिति को अवगत कराया जा चुका है।	
3	1982-83	22	गव्य विकास	0.98	अधिक व्यय के नियमन पर वित्त विभाग के मंतव्य से लोक लेखा समिति को अवगत कराया जा चुका है।	
4	1984-85	3	मंत्री परिषद्, निर्वाचन	2.62	अधिक व्यय के नियमन पर वित्त विभाग के मंतव्य से लोक लेखा समिति को अवगत कराया जा चुका है।	
5		14	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.01	-	विभाग का जवाब अप्राप्त है।
6	1987-88	9	बिक्री कर	0.61	अधिक व्यय के नियमन पर वित्त विभाग के मंतव्य से लोक लेखा समिति को अवगत कराया जा चुका है।	
7		38	पशुपालन	6.92	ममला न्यायालय में विचाराधीन है।	
8	1988-89	9	बिक्री कर	0.46	अधिक व्यय के नियमन पर वित्त विभाग के मंतव्य से लोक लेखा समिति को अवगत कराया जा चुका है।	
9		38	पशुपालन	6.13	मामला न्यायालय में विचाराधीन है।	
10		27	परिवार कल्याण	0.35	-	विभाग का जवाब अप्राप्त है।
11		38	पशुपालन	8.65	मामला न्यायालय में विचाराधीन है।	
12	1990-91	37	लघु सिंचाई, भू एवं जल भूमि संरक्षण	18.26	अधिक व्यय के नियमन पर वित्त विभाग के मंतव्य से लोक लेखा समिति को अवगत कराया जा चुका है।	
13		38	पशुपालन	29.29	मामला न्यायालय में विचाराधीन है।	
14	1991-92	38	पशुपालन	70.72	मामला न्यायालय में विचाराधीन है।	
15	1992-93	38	पशुपालन	87.77	मामला न्यायालय में विचाराधीन है।	
16	1993-94	37	पशुपालन	125.03	मामला न्यायालय में विचाराधीन है।	
17	1994-95	37	पशुपालन	170.61	मामला न्यायालय में विचाराधीन है।	

क्रम सं०	वर्ष	अनुदान/ विनियोजन की संख्या	अनुदान/ विभाग संख्या एवं नाम	नियमन के लिए लंबित आधिक्य राशि	आधिक्य राशि के नियमन की स्थिति	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	1995-96	37	पशुपालन	146.49	मामला न्यायालय में विचाराधीन है।	
19	1996-97	37	पशुपालन	6.37	मामला न्यायालय में विचाराधीन है।	
20	1998-99	30	अल्पसंख्यक कल्याण	0.33	अधिक व्यय के नियमन पर वित्त विभाग के मंतव्य से लोक लेखा समिति को अवगत कराया जा चुका है।	
21	1999-00	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	0.01	अधिक व्यय के नियमन पर वित्त विभाग के मंतव्य से लोक लेखा समिति को अवगत कराया जा चुका है।	
22	2003-04	11	उत्पाद एवं मद्यनिषेध	0.44	अधिक व्यय के नियमन पर वित्त विभाग के मंतव्य से लोक लेखा समिति को अवगत कराया जा चुका है।	
23	2004-05	20	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.03	-	विभाग का जवाब अप्राप्त है।
24	2004-05	21	उच्च शिक्षा	5.54	अधिक व्यय के नियमन हेतु वित्त विभाग को पत्र भेजा जा चुका है।	
25	2010-11	5	राज्यपाल सचिवालय	0.35	अधिक व्यय के नियमन पर वित्त विभाग के मंतव्य से लोक लेखा समिति को अवगत कराया जा चुका है।	
26	2015-16	35	योजना एवं विकास विभाग	119.01	अधिक व्यय के नियमन पर वित्त विभाग के मंतव्य से लोक लेखा समिति को अवगत कराया जा चुका है।	
		कुल		807.36		

(स्रोत: वित्त विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: कड़िका 2.3.2; पृष्ठ 28)

₹ 100 करोड़ तथा अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से
ज्यादा की बचत वाले अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान/ विनियोजन संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(अ) राजस्व							
1	1-कृषि विभाग	2,698.13	178.68	2,876.81	1,662.15	1,214.66	42.22
2	2-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	544.19	56.15	600.34	466.80	133.54	22.24
3	3-भवन निर्माण विभाग	619.70	7.90	627.60	439.86	187.74	29.91
4	4-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	356.79	3.45	360.24	224.56	135.68	37.66
5	9-सहकारिता विभाग	534.84	9.26	544.10	426.49	117.61	61.62
6	11-पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1,959.54	412.32	2,371.86	1,450.04	921.82	38.86
7	15-पेंशन	16,285.30	0.30	16,285.60	12,514.52	3,771.08	23.16
8	18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2,143.22	19.98	2,163.20	1,065.68	1,097.52	50.74
9	20-स्वास्थ्य विभाग	7,321.68	779.07	8,100.75	4,749.79	3,350.96	41.37
10	23-उद्योग विभाग	711.38	19.72	731.10	540.07	191.03	26.13
11	25-सूचना प्रावैधिकी विभाग	239.98	75.90	315.88	214.80	101.08	32.00
12	26-श्रम संसाधन विभाग	685.75	5.37	691.12	418.11	273.01	39.50
13	27-विधि विभाग	819.55	7.52	827.07	537.77	289.30	34.98
14	33-सामान्य प्रशासन विभाग	532.40	146.13	678.53	508.64	169.89	25.04
15	35-योजना एवं विकास विभाग	2,251.59	75.66	2,327.25	1,036.16	1,291.09	55.48
16	37-ग्रामीण कार्य विभाग	1,381.19	200.00	1,581.19	1,149.02	432.17	27.33
17	39-आपदा प्रबंधन विभाग	597.94	1,205.61	1,803.55	593.52	1,210.03	67.09
18	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	810.25	8.81	819.06	455.42	363.64	44.40
19	42-ग्रामीण विकास विभाग	5,434.94	4,842.57	10,277.51	5,809.16	4,468.35	43.48
20	44-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1,627.64	13.08	1,640.72	1,142.73	497.99	30.35
21	48-नगर विकास एवं आवास विकास	3,409.36	1,213.38	4,622.74	3,377.92	1,244.82	26.93
22	49-जल संसाधन विभाग	869.12	351.43	1,220.55	878.32	342.23	28.04
23	50-लघु जल संसाधन विभाग	307.62	34.50	342.12	239.48	102.64	30.00
24	51-समाज कल्याण विभाग	4,871.17	1,773.02	6,644.19	4,845.24	1,798.95	27.08
कुल राजस्व		57,013.27	11,439.81	68,453.08	44,746.25	23,706.83	34.63

क्रम सं०	अनुदान/ विनियोजन संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(ब) पूँजीगत							
25	3-भवन निर्माण विभाग	2,560.46	317.81	2,878.27	1,340.46	1,537.81	53.43
26	9-सहकारिता विभाग	135.16	33.08	168.24	47.57	120.67	71.72
27	10-ऊर्जा विभाग	9,017.69	2,126.65	11,144.34	5,813.60	5,330.74	47.83
28	20-स्वास्थ्य विभाग	913.01	207.28	1,120.29	859.06	261.23	23.32
29	22-गृह विभाग	410.51	75.94	486.45	374.68	111.77	22.98
30	35-योजना एवं विकास विभाग	1,252.30	0.00	1,252.30	973.74	278.56	22.24
31	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	1,334.67	410.00	1,744.67	1,164.09	580.58	33.28
32	46-पर्यटन विभाग	640.71	43.00	683.71	63.09	620.62	90.77
33	49-जल संसाधन विभाग	1,409.94	776.79	2,186.73	1,675.41	511.32	23.38
34	50-लघु जल संसाधन विभाग	285.28	0.00	285.28	124.23	161.05	56.45
35	51-समाज कल्याण विभाग	145.93	87.38	233.31	18.28	215.03	92.16
कुल पूँजीगत		18,105.66	4,077.93	22,183.59	12,454.21	9,729.38	43.86
महायोग (अ+ब)		75,118.93	15,517.74	90,636.67	57,200.46	33,436.21	36.89

(स्रोत: वर्ष 2016-17 का विनियोग लेखा)

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: कडिका 2.3.4, पृष्ठ 31)

अनुपूरक प्रावधान के मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक)
जो अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)	(3-4)=(5)	(6)
राजस्व (भारित)					
1	15-पेंशन	10.70	10.44	0.26	0.15
2	28-उच्च न्यायालय, बिहार	111.56	108.30	3.26	16.25
(अ) राजस्व (भारित) का योग		122.26	118.74	3.52	16.40
राजस्व (दत्तमत)					
3	1-कृषि विभाग	2,698.13	1,662.15	1,035.98	178.68
4	2-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	544.19	466.80	77.39	56.15
5	3-भवन निर्माण विभाग	619.70	439.86	179.84	7.89
6	4-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	356.78	224.56	132.22	3.45
7	7-निगरानी विभाग	34.10	29.08	5.02	2.37
8	9-सहकारिता विभाग	534.85	426.49	108.36	9.26
9	11-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1,959.54	1,450.04	509.50	412.32
10	12-वित्त विभाग	259.06	158.88	100.18	0.65
11	15-पेंशन	16,274.60	12,504.07	3,770.53	0.15
12	16-पंचायती राज विभाग	7,183.92	6,466.66	717.26	202.41
13	18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2,143.22	1,065.68	1,077.54	19.98
14	20-स्वास्थ्य विभाग	7,321.69	4,749.79	2571.9	779.07
15	21-शिक्षा विभाग	21,477.10	19,043.06	2,434.04	1,403.40
16	22-गृह विभाग	6,886.86	6,190.61	696.25	274.22
17	23-उद्योग विभाग	711.38	540.07	171.31	19.72
18	25-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	239.98	214.80	25.18	75.90
19	26-श्रम संसाधन विभाग	685.75	418.11	267.64	5.37
20	27-विधि विभाग	819.55	537.77	281.78	7.52
21	29-खान एवं भूतत्व विभाग	18.95	12.71	6.24	0.60
22	32-विधानमंडल	152.31	135.65	16.66	6.74
23	33-सामान्य प्रशासन विभाग	528.00	504.19	23.81	145.41
24	35-योजना एवं विकास विभाग	2,251.59	1,036.16	1,215.43	75.65

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)	(3-4)=(5)	(6)
25	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	420.32	347.20	73.12	14.00
26	37-ग्रामीण कार्य विभाग	1,381.19	1,149.02	232.17	200.00
27	38-निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	151.84	140.73	11.11	47.01
28	39-आपदा प्रबंधन विभाग	597.94	593.52	4.42	1,205.62
29	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	810.25	455.42	354.83	8.81
30	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	94.32	80.08	14.24	6.74
31	44-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1,627.64	1,142.74	484.90	13.09
32	47-परिवहन विभाग	55.14	54.66	0.48	9.42
33	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	3,409.36	3,377.93	31.43	1,213.38
34	50-लघु जल संसाधन विभाग	307.62	239.48	68.14	34.50
35	51-समाज कल्याण विभाग	4,871.17	4,845.24	25.93	1,773.02
(ब) राजस्व (दत्तमत) का योग		87,428.04	70,703.21	16,724.83	8,212.50
योग राजस्व (अ+ब)		87,550.30	70,821.95	16,728.35	8,228.90
पूँजीगत (दत्तमत)					
36	3-भवन निर्माण विभाग	2,560.46	1,340.46	1,220.00	317.81
37	9-सहकारिता विभाग	135.16	47.57	87.59	33.08
38	10-ऊर्जा विभाग	9,017.69	5,813.60	3,204.09	2,126.65
39	12-वित्त विभाग	23.00	21.38	1.62	10.00
40	20-स्वास्थ्य विभाग	913.01	859.06	53.95	207.28
41	22-गृह विभाग	410.51	374.68	35.83	75.94
42	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	1,334.67	1,164.09	170.58	410.00
43	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	25.15	5.04	20.11	3.79
44	41-पथ निर्माण विभाग	5,650.91	5,342.11	308.80	134.00
45	46-पर्यटन विभाग	640.71	63.09	577.62	43.00
46	51-समाज कल्याण विभाग	145.93	18.28	127.65	87.38
(स) पूँजीगत (दत्तमत) का योग		20,857.20	15,049.36	5,807.84	3,448.93
महायोग (अ+ब+स)		1,08,407.50	85,871.31	22,536.19	11,677.83

(स्रोत: वर्ष 2016-17 का विनियोग लेखा)

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: कंडिका 2.3.5; पृष्ठ 31)

निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2	2403-00-001-0001- मुख्यालय स्थापना	5.40	0.08	5.01	0.39	0.08
2		2403-00-001-0003- अधीक्षण क्षेत्रीय स्थापना	26.78	0.02	22.66	4.12	0.02
3	3	2052-00-090-0020-भवन निर्माण विभाग	1.99	0.14	1.72	0.38	0.03
4		2059-80-001-0004-कार्यान्वयन	155.72	1.60	122.56	0.00	34.76
5		4059-60-051-0106-स्टेडियम एवं खेल संरचना	68.00	24.43	32.92	58.25	1.26
6		4216-01-700-0105-न्यायधीश आवास (विधि विभाग)	110.00	1.50	8.32	0.32	102.86
7	8	2205-00-102-0101-कला एवं संस्कृति का संवर्धन	11.10	1.00	8.92	2.75	0.43
8	16	2515-00-003-0001-पंचायत कर्मचारियों का प्रशिक्षण	1.58	0.30	1.45	0.35	0.08
9		2515-00-198-0106-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	81.12	14.50	70.77	23.52	1.33
10	18	3456-00-001-0002-जिला प्रभार	47.79	1.01	42.50	0.00	6.30
11	20	2210-01-001-0001-स्वास्थ्य निदेशालय	20.84	0.56	18.45	2.75	0.20
12		2210-01-110-0010-इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना	32.92	0.34	24.96	7.04	1.26
13		2210-01-110-0011-संक्रामक रोग अस्पताल, पटना	2.62	0.02	2.10	0.45	0.09
14		2210-05-105-0009-दंत चिकित्सा महाविद्यालय, पटना	5.64	0.94	3.93	1.75	0.90
15		2210-06-003-0002-जन स्वास्थ्य संस्थान	15.56	0.38	8.29	2.62	5.03
16		2251-00-090-0007-स्वास्थ्य विभाग	4.44	0.02	3.52	0.00	0.94
17		4210-02-050-0101-ग्रामीण चिकित्सा संस्थानों के लिए भू-अर्जन	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15
18	21	2202-02-107-0108-अन्य विद्यालय	212.22	75.00	130.69	0.00	156.53
19		2202-03-103-0001-इंटरमीडिएट (+2) शिक्षा	35.11	10.73	34.03	0.00	11.81
20		2202-04-001-0002-जन शिक्षा निदेशालय	2.60	0.16	2.07	0.00	0.69
21		2202-05-103-0002-राजकीय संस्कृत विद्यालय	3.28	5.92	3.81	0.00	5.39
22		2202-05-200-0002-गैर सरकारी मदरसा	300.00	39.14	230.83	0.00	108.31
23		2202-80-001-0002-राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	0.98	0.11	0.96	0.00	0.13
24		2202-80-003-0005-शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय	4.77	0.02	4.40	0.00	0.39
25		2202-80-003-0007-प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	3.03	1.00	2.55	0.00	1.48
26		2202-80-004-0001-राष्ट्रभाषा परिषद्	2.63	0.05	1.99	0.00	0.69
27		2202-80-004-0007-के०पी० शोध संस्थान पटना	1.82	0.03	1.70	0.00	0.15
28		2202-80-004-0018-राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्	9.27	0.19	6.80	0.00	2.66
29		2202-80-800-0006-क्षेत्रीय अभिलेख पर समीक्षा समिति	0.17	0.02	0.16	0.00	0.03
30		2251-00-090-0002-शिक्षा विभाग	11.06	5.75	5.35	0.00	11.46

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31	22	2055-00-001-0003-केन्द्रीय स्तर पर सामग्रियों का क्रय	76.90	7.37	72.72	0.00	11.55
32		2055-00-003-0002-प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर	13.93	1.30	13.10	0.00	2.13
33		2055-00-003-0007-प्रशिक्षण विद्यालय सिमुलतल्ला	10.43	0.72	9.91	0.00	1.24
34		2055-00-003-0008-प्रशिक्षण विद्यालय डुमराव	4.91	0.50	4.82	0.00	0.59
35		2055-00-101-0001-आपराधिक जाँच विभाग	177.03	0.60	153.27	0.00	24.36
36		2055-00-104-0002-पैदल सैन्य पुलिस	763.10	41.70	753.04	0.00	51.76
37		2055-00-109-0004-उग्रवाद प्रभावित गाँवों में विशेष पुलिस पदाधिकारी हेतु मानदेय	6.00	1.00	5.71	0.00	1.29
38		2055-00-113-0001-चिकित्सालय व्यय	11.02	0.10	7.61	0.00	3.51
39		2055-00-114-0001-संकेत	55.14	0.08	42.38	0.00	12.84
40		2055-00-114-0002- कम्प्यूटर	2.24	0.06	1.87	0.00	0.43
41	23	2851-00-107-0101-पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना-रेशम का विकास	0.00	16.48	0.00	0.00	16.48
42		2851-00-789-0105-पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना-रेशम का विकास	0.00	7.70	0.00	4.00	3.70
43	25	2852-07-202-0110-ई-डिस्ट्रीक्ट योजना	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00
44	26	2230-01-101-0007-कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन	29.36	0.02	20.97	8.30	0.11
45		2230-01-102-0002-कारखानों के निरीक्षक	5.17	0.05	3.74	1.46	0.02
46		2230-01-114-0102- अंतर्राज्तीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय	2.30	0.15	2.04	0.35	0.06
47		2230-03-003-0005-मुख्यालय स्थापना	4.01	0.05	3.46	0.55	0.05
48	27	2014-00-117-0001- परिवार न्यायालय	12.35	0.31	7.42	5.12	0.12
49	39	2245-02-101-0007- आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्र आदि के लिए अनुदान	10.00	2.50	9.06	3.30	0.14
50	40	2029-00-001-0001-जिला प्रभार भू-अर्जन स्थापना	25.99	0.30	16.29	9.93	0.07
51	41	3451-00-090-0014-पथ निर्माण विभाग	3.45	0.03	2.36	1.11	0.01
52	43	2203-00-105-0106- प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	2.61	0.67	2.58	0.67	0.03
53	44	2225-01-277-0003- आवासीय विद्यालय	94.69	0.75	74.59	20.23	0.62
54		2251-00-090-0023- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	4.49	0.38	3.54	1.31	0.02
55	45	2852-08-201-0002-चीनी निर्माणशाला नियंत्रण एक्ट 1937 से संबंधित व्यय-जिला	2.04	0.04	1.41	0.66	0.01
56	51	2235-02-001-0001- निदेशन और प्रशासन	0.92	0.15	0.85	0.00	0.22
57		2235-02-101-0106- निर्धनों एवं निराश्रितों का कल्याण	1.50	8.00	1.50	0.00	8.00
योग			2,499.02	278.12	2,018.66	161.68	596.80

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा एवं अनुदान अंकेक्षण पंजी 2016-17)

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ:कंडिका 2.3.5; पृष्ठ 31)

निधियों का आधिक्य पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	3	2059-80-052-0001- नई आपूर्ति एवं मरम्मती	1.56	2.48	1.62	2.38	0.04
2	6	2015-00-103-0001- विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची	57.05	2.25	58.02	0.88	0.40
3	8	2205-00-103-0001- पुरातत्व निदेशालय	1.56	0.19	1.56	0.17	0.02
4	12	7610-00-202-0001- सरकारी सेवकों को मोटरगाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम	7.00	0.75	7.19	0.02	0.54
5	13	2049-01-305-0001- पुराने ऋणों से संबंधित व्यय	10.00	1.00	10.97	0.00	0.03
6		2049-01-305-0002- नये ऋणों से संबंधित व्यय	2.00	1.50	3.42	0.00	0.08
7		2049-04-101-0002- 1989-90- से प्राप्त ब्लॉक कर्जे से ब्याज	134.67	22.00	145.78	0.00	10.89
8	16	2515-00-196-0007- राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान	173.07	325.16	473.31	23.67	1.25
9		2515-00-197-0103- पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	16.23	3.70	17.73	2.15	0.05
10		2515-00-789-0105- पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	3.00	1.10	3.51	0.47	0.12
11		2515-00-789-0106- जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	0.50	0.30	0.62	0.16	0.02
12	19	2406-02-110-0324- बाघ परियोजना	4.36	0.32	4.57	0.09	0.02
13	21	2202-01-001-0105- शैक्षणिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक आयोजन एवं महोत्सव	6.00	10.00	15.84	0.00	0.16
14		2202-03-103-0003- सरकारी महिला महाविद्यालय	9.36	2.06	11.06	0.00	0.36
15		2202-05-200-0001- मदरसा इस्लामिया समसुल होदा	1.97	0.09	2.05	0.00	0.01
16		2202-80-003-0006- जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान	22.58	11.01	30.22	0.00	3.37
17		2202-80-003-0008- प्राथमिक अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय	15.66	9.53	20.53	0.00	4.66
18		2202-80-004-0005- अरबी तथा फारसी में अनुसंधान	0.51	0.35	0.51	0.00	0.35

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19	22	2055-00-001-0001- अधीक्षण	40.22	8.75	44.35	0.00	4.62
20		2055-00-104-0003- विशेष टास्क फोर्स	93.03	22.45	101.15	0.00	14.33
21		2055-00-104-0004- आतंकवाद निरोधक दस्ता	9.72	3.56	11.71	0.00	1.57
22		2055-00-109-0003- वामपंथी उग्रवादियों का समर्पण	0.75	2.00	2.19	0.00	0.56
23		2055-00-109-0017- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यय	17.00	3.50	17.65	0.00	2.85
24		2070-00-107-0003- गृह रक्षा वाहिनी संबंधी कल्याण कार्यक्रम	3.52	0.60	3.82	0.25	0.05
25		2070-00-108-0001- अग्नि रक्षा सेवा	52.71	10.49	59.72	1.17	2.31
26	36	4215-01-102-0103- ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवैल्स, नलकूप)	82.10	45.00	124.55	2.24	0.31
27	39	2245-02-101-0003- आपदा प्रभावित परिवारों को निःशुल्क राहत	18.00	8.00	23.24	1.98	0.78
28		2245-02-101-0005- आग लगने से राहत कार्य के लिए नकद भुगतान	5.00	5.75	7.64	2.90	0.21
29		2245-02-101-0016- राज्य की स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं से राहत हेतु अनुदान	37.00	28.20	56.43	2.77	6.00
30		2245-80-102-0104- राज्य आपदा रिसपोन्स फोर्स	22.40	4.18	24.28	2.29	0.01
31	40	2029-00-001-0102- जोतों की चकबंदी	9.00	2.73	11.29	0.00	0.44
32	41	5054-03-337-0102- प्रमुख सड़कें	1,200.00	100.00	1,249.95	10.21	39.84
33	48	2217-01-191-0109- नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधाएँ सहायक अनुदान	20.00	15.00	27.19	0.00	7.81
34		2217-01-191-0116- नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधाएँ	22.00	10.00	27.48	1.55	2.97
35	49	2711-01-001-0003- क्षेत्रीय स्थापना	117.42	27.27	136.28	8.32	0.09
36		2701-80-001-0003-निदेशक, भूमि अर्जन, पुर्नर्वास	0.76	0.41	1.06	0.10	0.01
कुल			2,217.71	691.68	2,738.49	63.77	107.13

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा एवं अनुदान अंकेक्षण पंजी 2016-17)

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: कडिका 2.3.5; पृष्ठ 31)

निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अपर्याप्त निकासी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्वनि-योजन	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1	2401-00-109-0001-प्रमंडलीय, जिला एवं अनुमंडीय स्थापना	221.62	0.25	140.43	80.90	0.04
2	2	2403-00-101-0003-अस्पताल, औषधालय और अन्य स्थापना	116.27	1.41	90.31	23.27	1.28
3	3	2059-80-051-0001-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	9.00	1.50	4.95	2.51	0.04
4		2059-80-053-0001-रखरखाव तथा मरम्मत	270.00	12.46	199.06	56.70	1.78
5		4059-60-051-0107-सांस्कृतिक संरचना	221.16	24.43	89.21	106.52	1.00
6		4059-60-051-0121-पटना उच्च न्यायालय का विस्तारीकरण	35.00	2.20	9.89	22.80	0.11
7	6	2015-00-105-0001-लोक-सभा निर्वाचन	5.00	1.00	2.95	1.04	0.01
8		2015-00-108-0001-मतदाताओं को पहचान-पत्र निर्गत करने पर व्यय	5.05	1.25	2.22	1.25	0.33
9	8	2204-00-102-0001-राष्ट्रीय कैडेट कोर-प्रशासन	9.31	0.22	7.58	1.33	0.18
10		2204-00-104-0001-खेलकूद	9.08	0.25	6.78	1.88	0.17
11	12	7610-00-202-0002-सरकारी सेवकों को मोटर साइकिल खरीदने के लिए अग्रिम	0.50	0.12	0.10	0.27	0.01
12		7610-00-202-0003-मंत्री इत्यादि को मोटर गाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम	1.00	0.25	0.20	0.45	0.10
13		7610-00-204-0001-पदाधिकारियों को कम्प्यूटर खरीदने के लिए अग्रिम	1.00	0.25	0.39	0.32	0.04
14	13	2049-01-101-0001-बिहार राज्य विकास ऋण-देय ब्याज	4,206.77	54.02	4,124.68	0.00	28.07
15	15	2071-01-101-0001-15.11.2010 के पूर्व के पेंशन पानेवाले को भुगतान	1,244.82	1.00	1,165.25	0.00	78.57
16	16	2515-00-198-0105-ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का निर्धारित भत्ता (नियत)	101.40	12.00	76.52	12.82	0.06
17		2515-00-789-0103-ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के निर्धारित भत्ता (नियत)	26.85	5.10	15.00	6.71	0.04
18		2515-00-789-0104-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियत भत्ता हेतु	26.85	2.50	15.71	8.62	0.02
19	17	2040-00-101-0001-जिला प्रभार	106.08	3.25	85.15	15.20	2.48
20	19	2406-01-101-0001- वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा	82.62	0.08	70.71	11.38	0.45
21		2406-01-800-0105- पचतट कार्य	87.99	8.97	61.72	15.37	1.93

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22	20	2210-01-110-0009-भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर	71.78	0.40	66.48	4.69	0.21
23		2210-01-200-0002-कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	53.71	0.06	41.71	3.71	8.23
24		2210-01-200-0005-अन्य औषधालय (स्थानीय औषधालय)	23.61	0.09	19.23	3.74	0.55
25		2210-03-101-0003-स्वास्थ्य उपकेंद्र	61.77	0.27	32.53	5.34	23.63
26		2210-03-103-0001-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	956.52	3.38	824.53	52.82	75.79
27		2210-05-105-0001-पटना मेडिकल कॉलेज	101.23	0.05	78.84	22.33	0.01
28		2210-06-101-0002-राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	24.80	0.03	19.67	2.81	2.29
29		2210-06-101-0003-राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	37.27	0.07	18.80	9.63	8.77
30	21	2202-01-111-0301-सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए)	2,217.00	73.00	1,817.88	322.73	3.39
31		2202-01-796-0109- सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए)	109.50	27.34	0.00	0.00	82.16
32		2202-02-001-0002-जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी	184.75	0.39	151.85	0.00	32.51
33		2202-02-109-0001-अन्य विद्यालय	1,062.42	11.39	774.25	0.00	276.78
34		2202-02-110-0007-गैर सरकारी विद्यालयों को सहायता	330.00	5.75	0.00	0.00	324.25
35		2202-02-196-0001-जिला परिषद् माध्यमिक शिक्षकों के समेकित अनुदान हेतु	800.00	46.15	597.22	0.00	156.63
36		2202-03-001-0001-निदेशन तथा प्रशासन	9.44	1.14	3.65	0.00	4.65
37		2202-03-102-0115-राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास	59.00	10.10	43.85	0.00	5.05
38		2202-03-113-0101-बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम	55.00	10.00	2.50	0.00	42.50
39	22	2055-00-001-0008-सिपाही की नियुक्ति हेतु केन्द्रीय चयन परषद	18.86	4.64	5.67	0.00	8.55
40		2055-00-001-0009-प्रतिनियुक्त अर्द्ध सैनिक बलों पर व्यय	245.25	4.47	211.20	29.28	0.30
41		2055-00-109-0005-स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस	176.37	38.00	122.22	0.00	16.15
42		2055-00-109-0006-सुरक्षा संबंधित व्यय योजना के अन्तर्गत उग्रवाद प्रभावित यानि/बाह्य चौकी का सुदृढीकरण	14.00	3.50	5.04	0.00	5.46
43		2056-00-101-0001-केन्द्रीय जेल	99.44	1.50	86.78	0.00	11.16
44		2070-00-107-0001-ग्रामीण	449.44	0.60	395.49	52.19	1.16
45	23	2851-00-104-0001-हस्तशिल्प का विकास एवं शिल्प अनुसंधान संस्थान	4.30	0.14	3.38	0.77	0.01
46		2851-00-107-0001-रेशम का विकास	12.16	0.03	5.61	6.38	0.14

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
47	23	2852-80-001-0002-निदेशन	24.67	0.04	21.55	2.97	0.11	
48	24	2220-01-001-0001-निदेशन और प्रशासन	8.49	0.15	3.58	4.75	0.01	
49	27	2014-00-105-0001-सिविल और सत्र न्यायालय	595.60	0.31	453.86	140.35	1.08	
50	32	2011-02-101-0005-सदस्यगण	67.84	1.15	47.89	15.04	3.76	
51		2011-02-102-0006-सदस्यगण	16.46	0.40	14.56	0.09	1.41	
52		2011-02-102-0008-राज्य विधायी अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो	0.48	0.08	0.01	0.36	0.03	
53	36	2215-01-101-0004-शहरी जलापूर्ति योजना	80.40	3.11	59.15	17.90	0.24	
54		4215-01-102-0330-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	426.59	59.00	362.87	4.60	0.12	
55	39	2245-01-102-0001-ट्रकों एवं टैंकरों से पेयजल की दुलाई	10.00	2.50	2.27	4.60	0.63	
56		2245-01-282-0002-जलापूर्ति हेतु कुओं आदि की मरम्मती	10.00	2.50	2.29	5.11	0.10	
57		2245-02-101-0004-प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण	11.00	1.83	1.95	6.39	0.83	
58		2245-02-101-0006-आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान	15.00	3.75	6.96	3.81	0.48	
59		2245-02-104-0001-चारे की पूर्ति	2.50	0.62	1.44	0.43	0.01	
60		2245-80-102-0005-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	20.00	4.00	0.00	14.45	1.55	
61		40	2029-00-102-0101-सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य का पुनरीक्षण	36.74	2.73	29.06	0.00	4.95
62			2029-00-104-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय	642.56	0.30	359.76	282.05	0.45
63	41	3054-03-052-0001-मशीनें और उपकरण	3.00	0.12	1.70	0.62	0.56	
64	42	2501-06-101-0302-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)	140.31	25.00	81.95	0.00	33.36	
65	44	2225-01-277-0002-छात्रावासों का संधारण	11.95	0.60	5.67	5.61	0.07	
66	47	2041-00-101-0002-मोटर वाहन पर नियंत्रण	40.28	0.27	36.43	3.34	0.24	
67	48	2217-80-193-0007-नगर प्रबंधकों	1.97	0.47	1.34	0.14	0.02	
68	51	2235-02-106-0106-बाल दोषी, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना	10.00	0.04	6.18	0.00	3.78	
कुल			16,144.59	484.91	12,998.36	1,400.46	1,260.86	

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा, अनुदान अंकेक्षण पंजी को सम्मिलित कर, 2016-17)

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ: कांडिका 2.3.6; पृष्ठ 32)

वर्ष के दौरान वृहत् अभ्यर्पण (₹ पाँच करोड़ और कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष एवं विवरणी	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1-कृषि विभाग	2401-00-104-0205-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	11.43	0.90	10.53	0.00	92.13
2		2401-00-105-0207-राष्ट्रीय संघारणीय कृषि मिशन	32.20	4.19	27.98	0.03	86.89
3		2401-00-105-0307-राष्ट्रीय संघारणीय कृषि मिशन	21.46	2.81	18.65	0.00	86.91
4		2401-00-109-0103-बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना	132.60	60.71	71.89	0.00	54.22
5		2401-00-109-0114-एग्रीबिजनेस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (बाह्य सम्पोषित परियोजना)	19.68	0.46	19.22	0.00	97.66
6		2401-00-109-0216-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई) (ए०सी०ए०)	174.52	63.08	111.38	0.06	63.82
7		2401-00-109-0218-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	63.64	36.39	27.16	0.09	42.68
8		2401-00-109-0318-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	39.41	22.35	17.06	0.00	43.29
9		2401-00-789-0117-बीज उत्पादन कार्यक्रम	30.00	7.32	22.66	0.02	75.53
10		2401-00-789-0120-प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन	35.27	7.46	27.78	0.03	78.76
11		2401-00-789-0125-बाढ़ / सुखाड़ की आपातकालीन योजना	34.00	4.65	29.30	0.05	86.18
12		2401-00-789-0203-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई) (ए०सी०ए०)	44.75	10.71	34.00	0.04	75.98
13		2401-00-789-0303-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई) (ए०सी०ए०)	29.83	8.63	21.19	0.01	71.04
14		2401-00-789-0323-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	14.29	5.88	8.41	0.00	58.85
15		2401-00-789-0339-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	10.11	4.11	5.99	0.01	59.25
16		2402-00-102-0213-समेकित जल अच्छादन प्रबंधन कार्यक्रम (आई डब्ल्यू एम पी)	78.00	20.13	57.87	0.00	74.19
17		2402-00-102-0313-समेकित जल प्रबंधन कार्यक्रम (आई डब्ल्यू एम पी)	52.00	13.42	38.58	0.00	74.19
18		2402-00-789-0202-समेकित जल अच्छादन प्रबंधन कार्यक्रम (आई डब्ल्यू एम पी)	20.00	6.22	13.78	0.00	68.90

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष एवं विवरणी	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19	1-कृषि विभाग	2402-00-789-0302-समेकित जल अच्छादन प्रबंधन कार्यक्रम (आई डब्ल्यू एम पी)	13.33	4.15	9.18	0.00	68.87
20		2435-60-101-0101-कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	15.60	7.80	7.80	0.00	50.00
21	2-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	2403-00-106-0210-राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	17.05	7.42	9.63	0.00	56.48
22	3-भवन निर्माण विभाग	2245-80-102-0009- भवन से संबंधित आकस्मिक योजना	15.00	0.75	14.25	0.00	95.00
23		4047-00-051-0105-कोषागार कार्यालयों में अतिरिक्त संसाधन अधिष्ठापन	6.50	1.08	5.42	0.00	83.38
24		4059-01-051-0116-संयुक्त श्रम भवन का निर्माण	30.00	0.84	29.16	0.00	97.20
25		4059-01-051-0117-प्रखंड के भवन (ग्रामीण विकास विभाग)	216.00	81.44	133.30	1.26	61.71
26		4059-01-051-0119-कृषि कार्यालय भवन	81.90	28.25	53.62	0.03	65.47
27		4059-01-789-0101-अनुसूचित जाति के भवन	242.44	98.03	144.41	0.00	59.57
28		4059-01-789-0102-कृषि कार्यालय भवन	21.00	5.49	15.51	0.00	73.86
29		4059-60-051-0107-सांस्कृतिक संरचना	221.16	89.21	130.95	1.00	59.21
30		4059-60-051-0112-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/ पुनर्निर्माण/उन्नयन	57.00	21.61	35.37	0.02	62.05
31		4059-60-051-0116-जिला परिवहन कार्यालयों का निर्माण	8.01	1.13	6.88	0.00	85.89
32		4059-60-051-0121-पटना उच्च न्यायालय का विस्तारीकरण	35.00	9.89	25.00	0.11	71.43
33		4059-60-051-0222-कौशल विकास योजना	13.96	2.41	11.55	0.00	82.74
34		4059-80-051-0118-पिछड़े वर्गों के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	8.00	0.39	7.61	0.00	95.13
35		4202-02-105-0105-अभियंत्रण महाविद्यालय भवन (निश्चय)	350.00	4.83	345.17	0.00	98.62
36		4216-01-700-0101-अन्य आवास	30.00	13.76	16.22	0.02	54.07
37	4-मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग	2070-00-001-0107-बिहार विकास मिशन	200.00	100.00	100.00	0.00	50.00
38	8-कला संस्कृति एवं युवा विभाग	2204-00-104-0102-खेलकूद	13.70	6.47	7.23	0.00	52.77
39		2205-00-107-0101-संग्रहालय	14.95	4.21	10.74	0.00	71.84
40	10-ऊर्जा विभाग	4801-05-190-0209-पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	1950.00	100.07	1849.93	0.00	94.87
41		4801-05-190-0210-पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी०एफ०) (राज्य घटक) (एस०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए)	1900.00	100.08	1799.92	0.00	94.73

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष एवं विवरणी	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
42	10-ऊर्जा विभाग	6801-00-190-0015- दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० (ब्याज का भुगतान)	22.52	4.12	18.40	0.00	81.71
43		6801-00-190-0016- उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० (ब्याज का भुगतान)	40.10	6.10	34.00	0.00	84.79
44		6801-00-190-0017- दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० (मूलधन का पुनर्भुगतान)	13.85	1.20	12.65	0.00	91.34
45		6801-00-190-0018- उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० (मूलधन का पुनर्भुगतान)	9	6.33	13.67	0.00	68.35
46		6801-00-190-0108-बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कंपनी लि० की संचरण तथा वितरण परियोजना (बाह्य संपोषित योजना)	260.91	57.30	203.61	0.00	78.04
47	12-वित्त विभाग	2052-00-090-0038-वित्त विभाग	74.82	33.84	40.95	0.03	54.73
48	16-पंचायती राज विभाग	2515-00-001-0102-जिला पंचायत की स्थापना	13.00	0.35	12.65	0.00	97.31
49		2515-00-101-0114-पंचायती राज व्यवस्था और मानव संसाधन विकास (बाह्य सम्पोषित योजना)	147.00	50.00	97.00	0.00	65.99
50	18-खाद्य एवं उपभोगता संरक्षण विभाग	3456-00-102-0407-लंबित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	17.44	0.00	17.44	0.00	100.00
51		3456-00-102-0105-लंबित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	259.60	6.64	252.96	0.00	97.44
52		3456-00-198-0101-निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों के बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता	7.50	0.37	7.13	0.00	95.07
53	20-स्वास्थ्य विभाग	2210-01-110-0016-मानसिक आरोग्यशाला	15.00	4.00	11.00	0.00	73.33
54		2210-01-110-0021-वर्द्धमान इन्टीच्युट ऑफ हेल्थ साइंसेज अस्पताल, पावापुरी	19.03	5.47	13.56	0.00	71.26
55		2210-01-200-0209-एन०आर०एच०एम० सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1000.00	251.00	749.00	0.00	74.90
56		2210-01-789-0201-एन०आर०एच०एम० सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	200.00	100.00	100.00	0.00	50.00
57		2210-01-789-0301-एन०आर०एच०एम० सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	15.00	0.17	14.83	0.00	98.87
58		2210-03-110-0203-एन०आर०एच०एम० सहित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	1012.99	263.46	749.53	0.00	73.99
59		2210-03-789-0201-एन०आर०एच०एम० सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	441.87	117.87	324.00	0.00	73.32
60		4210-03-050-0103-नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु	120.00	20.00	100.00	0.00	83.33

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष एवं विवरणी	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
61	20-स्वास्थ्य विभाग	4210-03-105-0112- ऑकजेलरी नर्सिंग मिडवाइफरी (ए.एन.एम.) एवं जेनरल नर्सिंग मिडवाइफरी (जी.एन.एम.) स्कूल	140.00	60.00	80.00	0.00	57.14
62		4210-03-051-0119- बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज (निश्चय)	60.00	30.00	30.00	0.00	50.00
63	21-शिक्षा विभाग	2202-01-112-0303-प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एम डी एम)	58.17	0.36	57.81	0.00	99.38
64	22-गृह विभाग	2070-00-003-0008-गृह रक्षकों का प्रशिक्षण	10.00	2.97	7.03	0.00	70.30
65		2070-00-108-0102-अग्निशामक उपकरणों का क्रय	43.00	2.03	33.04	7.93	76.84
66		2235-60-200-0118-बिहार मंदिर चहरदिवारी निर्माण निधि योजना	10.00	1.21	8.76	0.03	87.60
67		4070-00-052-0101-काराओं के संयंत्रों हेतु	20.00	9.95	10.05	0.00	50.25
68	23-उद्योग विभाग	2851-00-107-0001-रेशम का विकास	12.16	5.61	6.41	0.14	52.71
69		2852-08-796-0101-आर्थिक सहायता	10.52	2.34	8.18	0.00	77.76
70		2852-80-102-0135-इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना	29.64	10.06	19.58	0.00	66.06
71		2852-80-789-0102-इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना	119.05	29.39	89.66	0.00	75.31
72	26-श्रम संसाधन विभाग	2230-01-101-0108-श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण	21.60	0.76	20.84	0.00	96.48
73		2230-03-003-0129-बिहार कौशल विकास मिशन	255.50	114.12	141.38	0.00	55.33
74		2230-01-101-0109-कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण	15.00	6.82	8.18	0.00	54.53
75		2230-03-003-0233-कौशल विकास मिशन	16.50	0.41	16.09	0.00	97.52
76		2230-03-003-0333-कौशल विकास मिशन	11.00	0.73	10.26	0.01	93.27
77		4250-00-050-0101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भू-अर्जन के लिए	96.20	0.92	95.28	0.00	99.04
78	35-योजना एवं विकास विभाग	2235-60-200-0117-मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना	1014.65	75.89	938.75	0.01	92.52
79		3454-02-205-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना	11.51	1.87	9.64	0.00	83.75
80		4070-00-051-0109-योजनातंत्र का सुदृढीकरण जिला स्तरीय योजना के अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में	10.00	1.61	8.38	0.01	83.80
81		4401-00-789-0104-कृषि विभाग के भवन	22.51	2.66	19.58	0.27	86.98

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष एवं विवरणी	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
82	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	4215-01-102-0329-निर्मल भारत अभियान	124.80	41.18	83.62	0.00	67.00
83		4215-01-789-0313-निर्मल भारत अभियान	32.00	10.56	21.44	0.00	67.00
84		4215-02-106-0105-लोहिया स्वच्छता योजना	72.45	23.90	48.55	0.00	67.01
85	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2245-01-102-0001-ट्रकों एवं टैंकरों से पेयजल की दुलाई	10.00	2.27	7.10	0.63	71.00
86		2245-01-282-0002-जलापूर्ति हेतु कुओं आदि की मरम्मती	10.00	2.29	7.61	0.10	76.10
87		2245-02-101-0004-प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण	11.00	1.95	8.22	0.83	74.73
88		2245-02-113-0003-अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती/पुनर्निर्माण	10.00	0.06	9.94	0.00	99.40
89		2245-02-101-0006-आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान	15.00	6.96	7.56	0.48	50.40
90		2245-02-113-0001-बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती/पुनर्स्थापन	58.00	19.37	38.23	0.40	65.91
91		2245-02-114-0001-कृषि इपपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए)	222.93	92.35	130.34	0.24	58.47
92		2245-80-102-0005-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	20.00	0.00	18.45	1.55	92.25
93		2245-80-800-0102-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	13.40	3.75	9.65	0.00	72.01
94		40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2029-00-103-0206-राष्ट्रीय भू-अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (एन एल आर एम पी)	54.95	0.05	54.90	0.00
95	41-पथ निर्माण विभाग	5054-03-101-0208- सड़कें तथा पुलें	170.00	63.29	106.71	0.00	62.77
96		5054-03-337-0206- केन्द्रीय सड़क निधि	146.00	15.23	130.77	0.00	89.57
97	42-ग्रामीण विकास विभाग	2216-03-105-0202-इंदिरा आवास योजना	2833.47	983.31	1850.02	0.14	65.29
98		2501-06-101-0202-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन आर एल एम)	322.34	104.90	217.44	0.00	67.46
99		2505-02-101-0201-महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	1152.84	399.25	753.59	0.00	65.37
100		2515-00-102-0116-बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण (बाह्य संपोषित योजना)	11.24	4.72	6.52	0.00	58.01
101		4515-00-103-0102-प्रखंड लघु निर्माण कार्य	71.00	18.78	52.22	0.00	73.55
102	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	2203-00-112-0105-कौशल विकास मिशन	10.00	2.43	7.57	0.00	75.70

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष एवं विवरणी	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
103	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	4202-02-105-0106-इंजीनियरिंग महाविद्यालय भवन (निश्चय)	40.00	17.84	22.16	0.00	55.40
104	44- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग	2225-01-277-0002-छात्रावासों का संधारण	11.95	5.67	6.21	0.07	51.97
105		2225-01-277-0218-अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्कीम	121.55	48.66	72.14	0.75	59.35
106		2225-02-102-0102-अनुसूचित जन जातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	18.00	4.96	13.04	0.00	72.44
107	48- नगर विकास एवं आवास विभाग	2015-00-109-0001-नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव	21.00	10.09	10.91	0.00	51.95
108		2215-01-191-0101-पेयजल की पूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान	80.00	0.89	79.11	0.00	98.89
109		2215-01-789-0101-पेयजल की पूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान	20.00	5.00	15.00	0.00	75.00
110		2217-03-192-0212-सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	396.30	45.75	350.55	0.00	88.46
111		2217-80-191-0016-व्यावसायिक कर के संदर्भ में अनुदान	27.33	13.66	13.67	0.00	50.02
112		2217-04-789-0202-जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम) (ए सी ए)	22.71	1.40	21.31	0.00	93.84
113		2217-04-189-0203-जे एन एन यू आर एम के अंतर्गत आवास और गंदी बस्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम	21.31	0.00	18.49	2.82	86.77
114		3475-00-789-0202-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	10.00	4.58	5.42	0.00	54.20
115		49- जल संसाधन विभाग	2245-02-122-0002-क्षतिग्रस्त सिंचाई प्रणाली एवं बाढ़ नियंत्रण प्रणाली की मरम्मती	300.00	41.33	256.93	1.74
116	2701-80-190-0001-जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान को सहायता अनुदान		15.70	5.00	10.70	0.00	68.15
117	4700-01-051-0101-कोशी बेसीन की सिंचाई परियोजना (कार्य)		25.00	10.89	14.04	0.07	56.16
118	4700-01-051-0304-त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (ए आई बी पी) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम		5.69	0.00	5.23	0.46	91.92
119	4700-03-051-0205-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना		30.42	0.41	28.64	1.37	94.15

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष एवं विवरणी	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
120	49- जल संसाधन विभाग	4700-04-051-0204-त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (ए आई बी पी) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	13.69	2.20	11.28	0.21	82.40
121	49- जल संसाधन विभाग	4701-04-051-0101-क्यूल-बदुआ-चन्दन बेसीन की सिंचाई परियोजनाएँ (कार्य)	27.53	5.78	21.75	0.00	79.00
122		4711-01-051-0408-गंगा नदी को छोड़कर अन्य नदियों का कटाव निरोधक योजना (नेपाल भाग एवं सीमावर्ती क्षेत्र में नदी प्रबंधन कार्य)	105.00	45.14	59.86	0.00	57.01
123	50-लघु जल संसाधन विभाग	2702-03-789-0101-निजी नलकूप	16.29	3.26	13.01	0.02	79.86
124		4702-00-102-0102-नई/अधूरी मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण	69.52	23.07	46.41	0.04	66.76
125	51-समाज कल्याण विभाग	2235-02-102-0223-एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आई सी पी एस)	35.00	5.52	29.48	0.00	84.23
126		2235-02-103-0421-निर्भया योजना डब्लू सी डी (वन स्टॉप केंद्र)	9.21	0.00	7.22	1.99	78.39
योग			18,806.05	4,354.36	14,426.57	25.12	76.71

(स्रोत: वर्ष 2016-17 का विनियोग लेखा)

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: कांडिका 2.3.6; पृष्ठ 32)

निधियों का शत प्रतिशत अभ्यर्पण (₹ पाँच लाख से अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	अभ्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1-कृषि विभाग	2401-00-001-0214- राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना कृषि	2.84
2		2401-00-001-0314- राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना कृषि	1.90
3		2401-00-789-0240- राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना कृषि	0.73
4		2401-00-789-0340- राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना कृषि	0.49
5		2401-00-796-0262- राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना कृषि	0.07
6		2401-00-796-0267- कृषि मैकेनाइजेशन पर उप मिशन	0.14
7		2401-00-796-0367- कृषि मैकेनाइजेशन पर उप मिशन	0.09
8		2415-02-004-0201- राष्ट्रीय मिट्टी और उर्वरता प्रबंधन योजना	3.78
9		2415-02-004-0301- राष्ट्रीय मिट्टी और उर्वरता प्रबंधन योजना	2.52
10		2415-02-789-0201- राष्ट्रीय मिट्टी और उर्वरता प्रबंधन योजना	0.97
11		2415-02-789-0301- राष्ट्रीय मिट्टी और उर्वरता प्रबंधन योजना	0.65
12		2415-02-796-0201- राष्ट्रीय मिट्टी और उर्वरता प्रबंधन योजना	0.10
13		2415-02-796-0301- राष्ट्रीय मिट्टी और उर्वरता प्रबंधन योजना	0.06
14		4401-00-051-0101- कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	15.60
15		4401-00-789-0101- कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	4.00
16		4401-00-796-0101- कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	0.40
17	2-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	2403-00-105-0102- सुअरों का विकास	5.00
18		2403-00-106-0212- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	13.03
19		2403-00-106-0312- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	5.88
20		2403-00-789-0207- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	0.24
21		2403-00-789-0307- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	0.16
22		2404-00-102-0201- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0.13
23		2404-00-102-0301- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) (ए.सी.ए.)	0.08
24		2405-00-101-0103- मन मत्स्य का विकास	1.00
25		2405-00-101-0201- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) (ए.सी.ए.)	3.07
26		2405-00-101-0301- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	2.05
27		2415-03-277-0101- बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	5.00
28		3454-01-001-0405- पशुधन गणना	4.00
29	3- भवन निर्माण विभाग	2059-01-053-0017- विधि विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	7.71
30		2059-01-053-0021- गन्ना अद्योग विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	0.50
31		2059-01-053-0025- वर्तमान न्यायालय का पुनरुपकरण (वित्त आयोग को अनुशंसा)	5.00
32		2059-01-053-0103- गृह विभाग के मुख्यालय का सुदृढीकरण एवं जीर्णोद्धार	1.30
33		2059-80-053-0016- एक्का स्मारक भवन	0.62
34		2059-80-103-0004- निरीक्षण भवनों का साज सज्जा	0.31
35		3053-02-102-0001- हवाई अड्डे	0.50
36		4059-01-051-0107- वित्त विभाग के भवन	10.00
37		4059-01-051-0111- उत्पाद विभाग के भवन	2.00
38		4059-01-051-0124- बिहार भूमि न्यायाधिकरण परिसर में न्यायालय एवं कार्यालय भवन निर्माण हेतु	0.50

क्रम सं०	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	अभ्यर्पित कुल प्रावधान	
(1)	(2)	(3)	(4)	
39	3- भवन निर्माण विभाग	4059-60-789-0305- कौशल विकास योजना	1.00	
40		4059-60-796-0103- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों का निर्माण	3.00	
41		4059-60-796-0302- कौशल विकास योजना	0.50	
42		4059-80-051-0002- लघु निर्माण	2.00	
43		4059-80-051-0122- आई0टी0 भवन	15.00	
44		4059-80-201-0103- इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिटी	2.00	
45		4202-02-104-0211- पॉलीटेक्नीक में महिला छात्रावास के लिए भवन (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग)	1.40	
46		4216-01-101-0001- निर्माण के पूर्ण के प्रारंभिक कार्य	0.10	
47		4225-80-051-0104- अल्पसंख्यक समुदाय के महानुभावों के नाम से भवन निर्माण (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)	10.00	
48		4408-02-101-0102- खाद्यान्न भंडार गोदामों का निर्माण (नाबार्ड सम्पोषित)	74.66	
49	4-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	2052-00-090-0147- सचिवालय ग्रन्थागार का आधुनिकीकरण एवं पुस्तकों का क्रय	0.60	
50	8- कला संस्कृति एवं युवा विभाग	6202-04-190-0001- बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	0.25	
51		6202-04-190-0101- बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	0.10	
52	9- सहकारिता विभाग	2408-02-190-0101- बिहार राज्य भंडार निगम को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान	13.01	
53		2425-00-003-0103- सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों की मरम्मती एवं बनाने हेतु	3.00	
54		4425-00-051-0203- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) (ए.सी.ए.)	11.01	
55		4425-00-051-0303- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) (ए.सी.ए.)	7.34	
56		6425-00-107-0101- बिहार राज्य सहकारिता बैंक पटना को कृषि साख स्थिरीकरण निधि के लिए ऋण	100.00	
57		6425-00-108-0418- एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	1.95	
58		10- ऊर्जा विभाग	6801-00-201-0101- बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण	10.00
59			6801-00-201-0105- बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण (नाबार्ड)	67.80
60	11- पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	2225-03-277-0212- अन्य पिछड़े वर्गों और अनाधिसूचित, घुमंतू तथा अर्ध घुमंतू जनजातियों के विकास के लिए स्कीम	1.60	
61		2225-03-277-0213- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु योजना	2.00	
62		2225-03-277-0215- पोस्ट मैट्रीक छात्रवृत्ति	72.72	
63		2225-03-277-0312- अन्य पिछड़े वर्गों और अनाधिसूचित, घुमंतू तथा जनजातियों के विकास के लिए योजना	0.60	
64		2225-03-277-0313- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विकास हेतु योजना	2.00	
65	12- वित्त विभाग	2204-00-104-0005- अखिल भारतीय सेवाओं के लिए आयोजित प्रतियोगिता हेतु सचिवालय स्पोर्ट्स क्लब को सहायक अनुदान	0.07	
66		4058-00-103-0101- मशीनरी और उपस्कर-सरकारी प्रेस गुलजारबाग के आधुनिकीकरण की योजना	2.00	
67	13- सूद भुगतान	2049-60-701-0004- बिक्री कर वापसी के मामले में देय ब्याज	0.14	
68	16- पंचायती राज्य विभाग	2515-00-003-0304- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण योजना	1.82	
69		2515-00-196-0109- मुख्यमंत्री निश्चय योजना	5.00	
70		2515-00-196-0308- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण योजना	3.04	
71		2515-00-197-0106- मुख्यमंत्री निश्चय योजना	5.00	
72		2515-00-197-0305- राजिव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	4.27	
73		2515-00-789-0113- पंचायती राज व्यवस्था एवं मानव संसाधन विकास (बाह्य सम्पोषित योजना)		63.00

क्रम सं०	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	अभ्यर्पित कुल प्रावधान	
(1)	(2)	(3)	(4)	
74	17- वाणिज्य-कर विभाग	2040-00-003-0001- बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण पर व्यय	0.10	
75		2040-00-101-0002- भामाशाह सम्मान योजना	0.25	
76	18- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2408-01-101-0103- धान, चावल अधिप्रारित हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को आर्थिक सहायता	10.00	
77		3456-00-001-0405- राज्य उपभोक्ता हेल्प लाईन (सहायता केन्द्र)	0.08	
78		3456-00-102-0209- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम-अन्नपूर्णा	9.99	
79		3456-00-102-0411- उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम	0.30	
80		3456-00-102-0413- जन वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	0.34	
81		3456-00-103-0101- बी०पी० एल० परिवारों का सुदृढीकरण	9.05	
82		5475-00-051-0102- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय का आधुनिकीकरण	2.83	
83		19- पर्यावरण एवं वन विभाग	2406-01-105-0104- प्रदूषण नियंत्रण पार्षद	1.15
84	20- स्वास्थ्य विभाग	2210-01-200-0310- राष्ट्रीय एड्स तथा यौनसंचारी रोग नियंत्रक कार्यक्रम	4.50	
85		2210-02-200-0202- औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	13.47	
86		2210-02-200-0302- औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	8.00	
87		2210-03-110-0304- राष्ट्रीय एड्स तथा यौनसंचारी रोग नियंत्रक कार्यक्रम	4.50	
88		2210-04-200-0203- औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	10.98	
89		2210-04-200-0303- औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	8.30	
90		2235-60-110-0204- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	285.85	
91		2235-60-110-0304- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	190.57	
92		4210-02-110-0101- आयुष कॉलेज अस्पताल एवं डिस्पेंसरी	1.00	
93		4210-03-051-0201- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	42.00	
94		22-गृह विभाग	2070-00-003-0004- अग्निशमन सेवा के कर्मचारियों को प्रशिक्षण	0.25
95		23-उद्योग विभाग	2852-80-001-0110- विभागीय योजनाओं के प्रचार एवं प्रकाशन योजना	1.00
96	24-सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	2220-60-103-0002- बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान कोष	0.08	
97		2235-60-200-0115- पत्रकार पेंशन योजना	0.30	
98	25-सूचना प्रावैधिकी विभाग	2230-03-001-0101- कौशल विकास योजना	75.00	
99		2852-07-202-0101- राष्ट्रीय ई-शासन योजना-कॉमन सर्विस सेन्टर	1.00	
100		2852-07-202-0102- मुख्यमंत्री सचिवालय में जन शिकायत कोषांग	1.00	
101		2852-07-202-0105- राज्य की पोर्टल योजना	1.00	
102	26-श्रम संसाधन विभाग	2230-02-101-0214- नेशनल कैरियर सर्विस	0.09	
103	27-विधि विभाग	2014-00-003-0002- न्यायिक क्षमता विस्तार (वित्त आयोग की अनुशंसा)	8.46	
104		2014-00-105-0007- अतिरिक्त न्यायालय (वित्त आयोग की अनुशंसा)	17.50	
105		2014-00-105-0008- त्वरित न्यायालय (वित्त आयोग की अनुशंसा)	67.69	

क्रम सं०	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	अभ्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
106	27-विधि विभाग	2014-00-105-0009- सिविल एवं सत्र न्यायालय (वित्त आयोग की अनुशंसा)	17.99
107		2014-00-114-0005- बिहार राज्य/जिला/अनुमंडल बार काउंसिल/एसोसिएशन को अनुदान	2.50
108	27-विधि विभाग	2014-00-114-0007- न्यायिक सुविधाएँ (वित्त आयोग की अनुशंसा)	8.07
109		2014-00-114-0105- बिहार राज्य/जिला/अनुमंडल बार काउंसिल/एसोसिएशन को अनुदान	3.00
110		2014-00-117-0002- परिवार न्यायालय (वित्त आयोग की अनुशंसा)	2.30
111		2250-00-101-0002- बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्वद को अनुदान हेतु	1.00
112	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2202-02-107-0210- अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	1.20
113		2202-03-107-0106- अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को लोक सेवा आयोग की तैयारी हेतु कोचिंग की व्यवस्था	1.00
114		2250-00-800-0107- वक्फ सम्पत्ति के रख- रखाव सुरक्षा तथा संवर्धन हेतु	hu
115		5465-01-190-0103- राष्ट्रीय अल्प संख्यक विकास एवं वित्त निगम को हिस्सा पूँजी में इम्यूटिपार्टिसिपेशन राज्य के हिस्सा पूँजी के रूप में अंशदान	0.50
116	35-योजना एवं विकास विभाग	2059-01-053-0024- मेला, हाट, बाजार, कचहरी भवन का संधारण	2.00
117		3454-02-205-0406- राजीव आवास योजना (क्षमता सृजन)	0.58
118		3475-00-004-0101- मुख्यमंत्री नव प्रवर्तन प्रोत्साहन योजना	2.00
119	36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	2215-02-003-0102- बिहार राज्य जल स्वच्छता मिशन को प्रशिक्षण सह शोधकार्य के संचालन एवं अन्य कार्यों हेतु अनुदान	1.00
120		4215-01-101-0125- जल गुणवत्ता की मॉनेटरिंग एवं प्रयोगशाला का उन्नयन	0.10
121		4215-01-102-0229- निर्मल भारत अभियान	259.72
122		4215-01-789-0213- निर्मल भारत अभियान	77.52
123		4215-01-796-0218- निर्मल भारत अभियान	7.76
124	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2245-01-101-0003- संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान	0.10
125		2245-02-101-0013- स्वरोजगार योजना हेतु ग्रामीण विकास को नगद भुगतान	0.10
126		2245-02-101-0014- शीत लहर एवं पाला से बचाव हेतु नगद अनुदान	0.10
127		2245-02-101-0015- राज्य के बाहर की घटनाओं में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों, परिवारों को अनुग्रह अनुदान	0.10
128		2245-02-107-0001- सरकारी स्वास्थ्य एवं शिक्षा भवनों की मरम्मत एवं प्रत्यास्थापन	0.10
129		2245-02-108-0001- सरकारी आवासीय भवनों की मरम्मत एवं प्रत्यास्थापन	0.10
130		2245-02-114-0004- बागवानी की फसलों के लिए सहायता	0.10
131		2245-02-114-0005- पैनेरियल (शाश्वत) फसलों के लिए सहायता	0.10
132		2245-02-115-0001- भूमि से रेत / गाद/लवणता साफ करने के लिए किसानों की सहायता	0.50
133		2245-02-115-0002- मत्स्य प्रक्षेत्र से लवणता बालू आदि का निष्कासन	0.10
134		2245-02-116-0001- खराब ट्यूबवेलों/पम्प आदि की मरम्मती के लिए किसानों को सहायता	0.10
135		2245-02-119-0003- हस्तकरण बुनकरों को सहायता अनुदान	0.13
136		2245-02-282-0004- कल्याण विभाग हेतु अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति	0.44

क्रम सं०	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	अभ्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
137		2245-02-800-0007- गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त राहत सामग्री के परिवहन पर होने वाले व्यय	0.10
138		2245-06-101-0005- राज्य के बाहर घटनाओं में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों परिवारों को अनुग्रह अनुदान	0.10
139		2245-80-001-0103- आपदा प्रबंधन कार्यालय का आधुनिकीकरण	0.09
140		2245-80-800-0003- बिहार कृषि संकटग्रस्त किसान सहायता योजना	0.15
141		4250-00-051-0104- वेयर हाउस	0.40
142	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2029-00-104-0004-जमींदारी उन्मूलन बन्ध	0.42
143		4047-00-789-0101- भूमि अर्जन हेतु (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)	20.75
144		4047-00-789-0104- गृह विहीन परिवारों के लिए गृह निर्माण	1.00
145	41-पथ निर्माण विभाग	5054-03-052-0101- यंत्र एवं उपकर्म	0.25
146	42- ग्रामीण विकास विभाग	2216-03-105-0104- इंदिरा आवास योजना का निगरानी एवं तकनीकी सहयोग	4.00
147		2216-03-105-0106- मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना	10.00
148		2505-02-789-0201- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	632.20
149		2505-02-796-0201- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	74.38
150		4515-00-102-0102- बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण परियोजना	4.12
151		2216-03-789-0103- मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना	189.14
152	44- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग	2070-00-001-0106- अम्बेडकर फाउण्डेशन	0.50
153	45- गन्ना उद्योग विकास	2852-08-789-0101- आर्थिक सहायता	12.08
154	46- पर्यटन विभाग	3452-80-003-0101- बिहार कौशल विकास योजना	1.00
155	48- नगर विकास एवं आवास विभाग	2215-02-106-0202- राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (एन0आर0सी0पी0)	3.00
156		2215-02-789-0203- राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (एन0आर0सी0पी0)	2.00
157		2217-01-053-0001- बुद्ध स्मृति एवं अन्य पार्क	15.00
158		2217-01-191-0218- शहरी पुनर्नवीकरण मिशन-अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (ए0एम0आर0यू0टी0)	50.00
159		2217-01-789-0205- सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	2.00
160		2217-03-192-0211- शहरी पुनर्नवीकरण मिशन-अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (ए0एम0आर0यू0टी0)	141.42
161		2217-03-192-0311- शहरी पुनर्नवीकरण मिशन अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (ए0एम0आर0यू0टी0)	45.00
162		2217-04-051-0202- राजीव आवास योजना	57.25
163		2217-04-051-0302- राजीव आवास योजना	90.00
164		2217-04-789-0303- जे0एन0यू0आर0एन0 के अन्तर्गत एकीकृत आवास एवं मलीन बस्ती विकास कार्यक्रम	0.10
165		2217-05-001-0102- योजनाओं का अनुश्रवण/मूल्यांकन/पर्यवेक्षण एवं राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना एवं अन्य समतुल्य कार्यक्रमों हेतु	0.15
166		2217-05-051-0102- बिहार नगरीय विकास परियोजना बाह्य संपोषित	10.00
167	49- जल संसाधन विभाग	2700-80-002-0402- नेशनल हाईड्रोलोजी प्रोजेक्ट	21.00

क्रम सं०	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	अभ्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
168	49- जल संसाधन विभाग	4700-02-051-0103- गण्डक बेसीन की सिंचाई परियोजना (कार्य) (नाबार्ड सम्पोषित योजना)	8.47
169		4700-03-051-0204- त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (ए0आई0बी0पी0) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	8.50
170		4700-03-051-0304- त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (ए0आई0बी0पी0) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	8.70
171		4700-03-051-0305- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	11.61
172		4711-01-051-0102- जल निस्सरण परियोजनायें (कार्य)	8.00
173		4711-01-051-0105- जल निस्सरण परियोजनायें (कार्य) (नाबार्ड सम्पोषित योजना)	0.07
174		50- लघु जल संसाधन विभाग	2702-02-016-0101- बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना
175	2702-02-789-0101- बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना		0.44
176	4702-00-101-0204- त्वरित सिंचाई लाभ एवं बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (ए0आई0बी0पी0) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम		42.00
177	4702-00-101-0304- त्वरित सिंचाई लाभ एवं बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (ए0आई0बी0पी0) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम		28.00
178	51- समाज कल्याण विभाग	2235-02-101-0220- असहाय लोगों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	5.00
179		2235-02-103-0003- बिहार राज्य महिला आयोग	1.50
180		2235-02-103-0111- कन्या सुरक्षा योजना	5.85
181		2235-02-103-0219- इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन	70.16
182		2235-02-103-0220- मुख्यमंत्री निशक्त जन विवाह प्रोत्साहन आनन्द योजना	2.00
183		2235-02-103-0423- स्वाधार गृह स्कीम (महिलाओं का सशक्तिकरण)	2.49
184		2235-02-2000-0106- प्रदर्शनी सेमिनार, और सम्मेलन	0.20
185		2235-03-796-0201- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन0एस0ए0पी0)	72.87
186		4235-02-102-0106- पर्यवेक्षण गृह, एवं बाल गृह के लिए भवन	0.10
योग			3,421.66

(स्रोत: अनुदान लेखापरीक्षा पंजी, 2016-17)

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ: कड़िका 2.3.8; पृष्ठ 33)

प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक एवं 10 प्रतिशत से ज्यादा अभ्यर्पित नहीं किए गए बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान/विनियोजन संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	बचत	अभ्यर्पण	बचत जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना शेष रहा	प्रतिशत (कालम 6/कालम 4 *100)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	02-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	2405	36.24	30.13	6.11	16.86
2	05-राज्यपाल सचिवालय	2012	3.65	0.14	3.51	96.16
3	15-पेंशन	2071	3,777.39	0.22	3,777.17	99.99
4	21-शिक्षा विभाग	2202	3,634.27	383.90	3,250.37	89.44
5		2204	4.00	0.00	4.00	100.00
6		2205	1.14	0.00	1.14	100.00
7		4202	85.25	0.00	85.25	100.00
8	22-गृह विभाग	2055	725.62	67.63	657.99	90.68
9		2056	35.79	5.65	30.14	84.21
10		4055	91.43	10.00	81.43	89.06
11	28-उच्च न्यायालय	2014	19.60	0.00	19.6	100.00
12	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2250	15.14	0.20	14.94	98.68
13	35-योजना एवं विकास विभाग	2053	64.92	7.26	57.66	88.82
14	38-निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	2030	25.29	5.71	19.58	77.42
15		2039	22.65	4.81	17.84	78.76
16	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2245	764.09	477.33	286.76	37.53
17	41-पथ निर्माण विभाग	2245	73.85	0.00	73.85	100.00
18	46-पर्यटन विभाग	5452	619.01	7.43	611.58	98.80
योग			9,999.33	1,000.41	8,998.92	90.00

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: कांडिका 2.3.8; पृष्ठ 33)

वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में ₹ 10 करोड़ तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक के निधियों के अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1	2401-फसल	2,095.59	826.07	39.42
2		2402-मृदा तथा जल संरक्षण	214.56	109.74	51.15
3		4401-फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	20.00	20.00	100.00
4	2	2403-पशुपालन	358.94	71.69	19.97
5		2404-डेयरी विकास	125.08	18.53	14.81
6		2405-मत्स्य पालन	104.28	30.13	28.89
7	3	2059-लोक निर्माण कार्य	593.77	126.56	21.31
8		2216-आवास	16.34	10.90	66.71
9		2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	15.00	14.25	95.00
10		4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,939.66	491.21	25.32
11		4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	501.40	102.02	20.35
12		4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय	200.63	41.36	20.62
13		4408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय	74.66	74.66	100.00
14	4	2053-जिला प्रशासन	64.06	11.49	17.94
15	8	2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएँ	56.66	11.07	19.54
16		2205-कला एवं संस्कृति	66.40	15.16	22.83
17	9	4425-सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	66.28	18.71	28.23
18	10	6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज	435.19	360.14	82.75
19	11	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,369.23	523.97	22.12
20	12	2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	94.05	44.92	47.76
21		2054-कोषागार तथा लेखा प्रशासन	139.60	28.78	20.62
22	16	2015-निर्वाचन	83.82	10.37	12.37
23		2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	7,301.25	933.96	12.79
24	17	2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर	154.36	34.93	22.63
25	18	2408-खाद्य-भंडारण तथा भांडागार	10.00	10.00	100.00
26		3456-सिविल पूर्ति	2,146.17	1,073.50	50.02
27	19	2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी	349.93	51.41	14.69
28	20	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	6,997.15	759.04	10.85
29		2211-परिवार कल्याण	532.74	99.46	18.67
30		2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	566.42	476.42	84.11
31	22	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	567.18	61.00	10.75
32		2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	87.04	22.60	25.97
33		4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	60.00	18.25	30.42
34	23	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	133.95	52.65	39.31
35		2852-उद्योग	593.94	120.66	20.32

क्रम सं०	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36	24	2220-सूचना तथा प्रचार	202.72	70.15	34.60
37	26	2230-श्रम तथा रोजगार	657.07	90.30	13.74
38		4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	253.60	95.28	37.57
39	27	2014-न्याय प्रशासन	814.32	285.19	35.02
40	33	2053-जिला प्रशासन	403.27	139.13	34.50
41		2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	40.31	12.91	32.03
42	35	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2,063.85	1,134.86	54.99
43		3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	95.16	32.46	34.11
44		4401-फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	112.54	40.47	35.96
45		4515-ग्रामीण विकास विभाग पर पूँजीगत परिव्यय	400.01	194.70	48.67
46	36	2215-जलापूर्ति तथा सफाई	432.04	75.63	17.51
47	37	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	273.47	90.09	32.94
48		3054-सड़क तथा सेतु	1,100.00	313.89	28.54
49	39	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	1,777.13	407.13	22.91
50	40	2029-भूमि राजस्व	785.11	302.51	38.53
51	42	2216-आवास	6,048.89	2,388.97	39.49
52		2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	751.71	337.05	44.84
53		2505-ग्राम रोजगार	2,175.74	1,463.35	67.26
54		4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	75.12	56.35	75.01
55	43	2203-तकनीकी शिक्षा	99.99	19.40	19.40
56		4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	378.32	60.16	15.90
57	44	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,635.73	409.40	25.03
58	45	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	69.83	68.74	98.44
59	46	3452-पर्यटन	98.33	10.73	10.91
60	48	2015-निर्वाचन	21.00	10.91	51.95
61		2217- शहरी विकास	3,956.93	847.56	21.42
62		3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	78.39	23.89	30.48
63	49	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	300.00	256.93	85.64
64		2701-मध्यम सिंचाई	117.81	17.84	15.14
65		4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,183.85	134.91	11.40
66	50	2702-लघु सिंचाई	331.87	101.85	30.69
67		4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	285.28	160.11	56.12
68	51	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	5,067.06	669.81	13.22
69		2236-पोषण	1,561.68	279.96	17.93
70		4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	233.31	76.03	32.59
योग			63,016.77	17,354.26	27.54

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भ: कांडिका 2.3.9; पृष्ठ 34)

मार्च 2017 में सघन व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	वर्ष 2016-17 के दौरान कुल व्यय	माह जनवरी से मार्च 2017 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2017 में हुआ व्यय	व्यय के सापेक्ष में कुल व्यय का प्रतिशत	
					जनवरी - मार्च 2017	मार्च 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	1-कृषि विभाग	1,662.15	902.64	529.22	54.31	31.84
2	3-भवन निर्माण विभाग	1,771.74	1,030.73	804.76	58.18	45.42
3	6-निर्वाचन विभाग	140.15	74.35	45.09	53.05	32.17
4	8-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	81.85	36.29	25.40	44.34	31.03
5	11-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1,461.27	1,452.69	1,451.65	99.41	99.34
6	16-पंचायती राज विभाग	6,466.66	6,090.88	3,571.66	94.19	55.23
7	18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1065.67	1,020.31	354.17	95.74	33.23
8	19-पर्यावरण एवं वन विभाग	335.42	216.51	176.25	64.55	52.55
9	23-उद्योग विभाग	665.60	288.79	260.07	43.39	39.07
10	24-सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	133.29	67.36	44.65	50.54	33.50
11	33-सामान्य प्रशासन विभाग	508.64	236.59	188.98	46.51	37.15
12	42-ग्रामीण विकास विभाग	5,827.93	3,442.80	3,322.51	59.07	57.01
13	44-अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों कल्याण विभाग	1,142.46	846.43	806.02	74.09	70.55
14	45-गन्ना उद्योग विभाग	182.81	102.10	95.16	55.85	52.05
15	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	3,377.92	1,752.88	1,397.19	51.89	41.36
16	49-जल संसाधन विभाग	2,551.13	1,288.91	961.59	50.52	37.69
17	50-लघु जल संसाधन विभाग	363.69	186.73	140.70	51.34	38.69
योग		27,738.38	19,036.99	14,175.07	68.63	51.10

(स्रोत: वित्त लेखा, 2016-17)

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भ: कड़िका 2.4; पृष्ठ 35)

नित्य प्रयोजन व्यय के लिये आकस्मिकता निधि से निकासी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	प्रयोजन	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2011	संसद/राज्य/संघ शासित क्षेत्र विधान मंडल	माननीय बिहार विधान परिषद के उपाध्यक्ष हेतु वाहन क्रय	0.16
2	2012	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन	वाहन क्रय हेतु	0.72
3	2014	न्याय प्रशासन	न्यायिक क्षमता निर्माण कार्यालय हेतु व्यय	0.95
4			उच्च न्यायलय पटना के ट्रैक्टर क्रय हेतु	0.04
5			ग्यारह न्यायिक मंडल के लिए वाहनों का क्रय	2.52
6			बिहार राज्य न्याय आयोग के सदस्य सचिव हेतु वाहन क्रय	0.10
7			महाधिवक्ता हेतु स्टाफ कार क्रय	0.08
8	2015	निर्वाचन	राज्य निर्वाचन आयोग हेतु वाहन क्रय	0.13
9	2029	भू-राजस्व	भू राजस्व सुधार मंत्री हेतु दो वाहनों का क्रय	0.16
10	2051	लोक सेवा आयोग	प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का बी.पी.एस.सी. द्वारा संचालन	25.00
11	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएँ	स्थानीय आयुक्त कार्यालय, बिहार भवन नई दिल्ली के कर्मचारी हेतु मानदेय	0.05
12			ऊर्दू सलाहकार समिति सदस्यों/डी.ई.ओ. के दूरभाष विपत्रों हेतु मानदेय	0.10
13			मुख्य सचिव हेतु वाहन क्रय	0.13
14			कानून मंत्री हेतु वाहन क्रय	0.16
15			वित्त मंत्री हेतु वाहन क्रय	0.15
16	2053	जिला प्रशासन	तिरहुत मंडल हेतु वाहन क्रय	0.13
17			संविदा कर्मचारी एवं अन्य कार्य हेतु भुगतान	0.20
18	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	माननीय मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे हेतु दो वाहनों का क्रय (प्रवास)	0.30
19			माननीय मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे हेतु दो वाहनों का क्रय (प्रवास)	0.82
20			पटना एवं तिरहुत मंडल के राजभाषा कर्मचारियों हेतु ए.सी.पी. लाभ का भुगतान	0.02
21	2071	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	सेवानिवृत्तों हेतु घरेलू सहायता भत्ते	0.15
22	2202	सामान्य शिक्षा	राज्य अपीलीय प्राधिकरण शिक्षा विभाग के लिए दो मोटर वाहनों की खरीद	0.24
23	2210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	प्रमंडलीय, अनुमंडलीय तथा सदर अस्पताल के वेतन एवं भत्ते	160.50
24	2211	परिवार कल्याण	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित मानव संसाधन हेतु वेतन एवं भत्ते	3.31
25			चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित मानव संसाधन हेतु वेतन एवं भत्ते	118.77
26			चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित मानव संसाधन हेतु वेतन एवं भत्ते	39.09
27			चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित मानव संसाधन हेतु वेतन एवं भत्ते	14.21

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	प्रयोजन	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28	2235	सामाजिक राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम	आई.सी.डी.एस. की स्थापना (प्रशिक्षण), आई.एस.एस. एन.आई.पी. एवं अन्य	275.12
29			राज्यांश के अन्तर्गत पेंशन का भुगतान	100.00
30			लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन का भुगतान	24.36
31			राज्यांश से राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पेंशन का भुगतान	247.40
32			बिहार अक्षम पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन का भुगतान	62.00
33			लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन का भुगतान	5.00
34			बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन का भुगतान	2.86
34			बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन का भुगतान	8.00
36			बिहार अक्षम पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन का भुगतान	16.57
37			ऑगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों हेतु पोशाक	35.31
38			ऑगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों हेतु पोशाक	21.65
39			आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत प्रबंधन सूचना प्रणाली	0.50
40	2236	पोषण	पूरक पोषक योजना राज्यांश हेतु	289.06
41		सचिवालय सामाजिक सेवाएँ	माननीय प्रशासनिक पद समिति के मंत्री हेतु वाहनकर	0.16
42			नव नियुक्त राज्य सूचना आयुक्त हेतु वाहनकर	0.10
43			आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री हेतु वाहनकर	0.16
44	2425	सहकारिता	प्रत्येक ब्लॉक के कार्यकारी सहायक के मानदेय हेतु भुगतान	0.90
45	2852	उद्योग	पटना उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों के कम्प्यूटर सिस्टम को ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत रख रखाव हेतु भुगतान	10.00
46	3451	सचिवालय आर्थिक सेवाएँ	माननीय उद्योग मंत्री, बिहार हेतु दो मोटर वाहनों का क्रय	0.27
47			माननीय खनिज एवं सम्पदा मंत्री हेतु मोटर वाहन का क्रय	0.15
48			माननीय सहकारिता मंत्री हेतु मोटर वाहन का क्रय	0.16
49			मुख्य सचिव के मोरक्को यात्रा एवं वन तथा पर्यावरण विभाग के कर्मचारियों के मानदेय हेतु भुगतान	0.42
50			माननीय मंत्री हेतु मोटर वाहन क्रय	0.16
51			पर्यटन विभाग के मंत्री एवं सचिव हेतु दो मोटर वाहनों का क्रय	0.29
52			मंत्री एवं गन्ना आयुक्त हेतु दो मोटर वाहनों का क्रय	0.29

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	प्रयोजन	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
53	3456	सिविल पूर्ति	भारत सरकार योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम	0.08
54	4202	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	एन.आई.टी. पटना हेतु भू-अर्जन	234.52
55	4210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	शहरी क्षेत्रों में सरकारी औषधालय का निर्माण	5.28
56			मेडिकल कॉलेज बेतिया एवं मधेपुरा के निर्माण हेतु भुगतान	160.00
57	4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	सात निश्चय योजना के अन्तर्गत कौशल विकास केन्द्र का निर्माण	112.85
58			सात निश्चय योजना के अन्तर्गत कौशल विकास केन्द्र का निर्माण	44.54
59	4801	बिजली परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय	उदय योजना अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा एस.बी.पी. डी.सी.एल. के लंबित ऊर्जा बिल में निवेश	296.20
60			उदय योजना अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा एन.बी.पी. डी.सी.एल. के लंबित ऊर्जा बिल में निवेश	203.80
61	5054	सड़कों एवं सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	योजना पर विकास विभाग द्वारा अतिरिक्त व्यय	200.00
योग				2,726.35

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा० एवं हक०) बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट-2.13

(संदर्भ: कडिका 2.5; पृष्ठ 37)

बजटीय प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	शीर्ष	कार्यालय का नाम	ए० सी० विपत्र की तिथि	ए० सी० विपत्र पर आहरित राशि	प्रेषण की तिथि	कोषागार को प्रेषित अव्ययित राशि	प्रेषण में विलम्ब (महीनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	3454	उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, पटना	29-03-12	175.58	21-01-15	48.35	34
2	4235	प्रखंड विकास पदाधिकारी, नौबतपुर	11-03-08	4.13	08-08-13	1.06	65
3	4210	अधीक्षक, पी.एम.सी.एच., पटना	23-12-06	48.06	09-07-15	1.28	103
4	2055	एन.डी.सी., पटना	20-05-09	90.00	01-10-15	6.77	76
5	2015	उप चुनाव अधिकारी, जहानाबाद	28-04-14	25.00	25-02-16	2.13	22
6	4235	समाहरणालय, जमुई	08-03-13	160.00	16-02-16	60.00	35
7	2245	एन.डी.सी., पटना	30-03-12	5.00	02-12-15	1.00	44
					29-03-16	0.72	48
8	4235	प्रखंड विकास पदाधिकारी, फतुहा, पटना	30-03-08	8.38	11-01-16	1.57	93
9	2245	अंचल अधिकारी, तेघड़ा, बेगूसराय	31-03-10	3.00	16-09-11	2.92	17
10	2015	जिला चुनाव अनुभाग, समस्तीपुर	23-02-13	37.00	23-06-16	13.50	40
11	2852	उप-निदेशक, उद्योग (लेखा), बिहार, पटना	01-12-11	50.00	29-03-16	10.53	52
					29-03-16		
12	3454	एन.डी.सी., किशनगंज	31-03-09	18.58	08-10-13	1.19	55
13	2225	जिला कल्याण पदाधिकारी, जमुई	25-03-09	1.88	13-03-13,	0.65	48
					12-12-14	0.25	69
14	2515	डी.डी.सी., दरभंगा	30-03-10	8.39	11-09-13	0.04	41
					16-09-13	0.04	42
					24-07-14	0.19	52
					06-06-15	0.30	62
					22-08-15	0.37	65
15	5054	जिला पदाधिकारी खगड़िया	13-02-14	163.00	31-03-16	99.80	25
16	2401	प्रखंड विकास पदाधिकारी, रोहतास	12-03-09	3.38	29-08-16	1.00	90
17	4220	जिला जन संपर्क पदाधिकारी, दरभंगा	26-03-09	5.19	11-09-13	2.32	53
18	2401	जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल	09-07-13	17.53	10-09-16	0.69	38

क्रम सं०	शीर्ष	कार्यालय का नाम	ए० सी० विपत्र की तिथि	ए० सी० विपत्र पर आहरित राशि	प्रेषण की तिथि	कोषागार को प्रेषित अव्ययित राशि	प्रेषण में विलम्ब (महीनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19	2401	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा	24-09-13	3.38	14-09-16	2.35	36
20	2210	निदेशक, आई.सी. आई. सी.आई, पटना	03-11-09	95.87	30-07-16	45.87	81
21	2053	जिला योजना पदाधिकारी, सहरसा	26-09-13	200.00	09-09-16	53.59	35
22	2015	जिला पदाधिकारी, किशनगंज	23-05-12	22.60	17-10-16	6.70	53
23	3454	उप निदेशक अर्थव्यवस्था एवं सांख्यिकीय निदेशालय, पटना	30-03-15	200.00	09-09-16	170.01	17
24	2053	जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा	04-09-13	250.00	21-09-16	40.54	37
25	2015	प्रखंड विकास पदाधिकारी, दलसिंहसराय	28-04-14	2.50	29-03-16	1.36	23
योग				1598.45		577.09	

परिशिष्ट-2.14

(संदर्भ: कडिका 2.5; पृष्ठ 37)

शत-प्रतिशत प्रेषण की राशि का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	शीर्ष	कार्यालय का नाम	ए०सी० बिल की तिथि	ए०सी० बिल पर आहरित राशि	प्रेषण की तिथि	कोषागार को प्रेषित अव्ययित राशि	प्रेषण में विलम्ब (महीनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	2015	प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिवान सदर	31-03-05	0.50	09-01-16	0.50	129
2.	4235	प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोकामा, पटना	16-03-12	1.94	01-02-16	1.94	46
3.	2236	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भरगामा, अररिया	03-03-05	7.53	11-01-16	7.53	130
4.	2055	डी.एन.डी.सी. पटना	14-10-05	4.74	21-09-15	4.74	119
5.	2235	खाद्य प्रसंस्करण, निदेशालय, उद्योग विभाग बिहार, पटना	04-02-15	400.00	02-11-15	400.00	9
6.	2055	एन.डी.सी. पटना	14-10-05	3.88	21-09-15	3.88	119
7.	3454	उपनिदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, पटना	30-03-15	300.00	14-09-16	300.00	17
योग				718.59		718.59	

परिशिष्ट-2.15

(संदर्भ: कडिका 2.6; पृष्ठ 37)

वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 10 करोड़ से ज्यादा (प्रत्येक मामले में) की असमाशोधित राशि

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
असमाशोधित प्राप्तियाँ			
1	0028-आय एवं व्यय पर अन्य कर	78.75	78.75
2	0029-भू-राजस्व	971.12	957.85
3	0030-टिकट और पंजीकरण शुल्क	2,981.95	2,572.87
4	0039-राज्य उत्पाद शुल्क	29.66	29.66
5	0040-बिक्री एवं व्यापार आदि पर क्रय	11,873.51	11,873.51
6	0041-वाहन पर क्रय	1,256.67	1,181.81
7	0042-माल एवं यात्री पर क्रय	6,245.62	6245.62
8	0043-बिजली पर सेवा तथा कर	223.90	223.90
9	0045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर सेवा तथा अन्य कर	81.25	81.08
10	0049-ब्याज अदायगियाँ	939.91	939.91
11	0051-लोक सेवा आयोग	16.31	16.31
12	0055-पुलिस	42.16	42.16
13	0056-कारागार	10.35	10.13
14	0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	99.88	19.38
15	0202-शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति	17.09	17.09
16	0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	39.94	39.94
17	0230-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	11.41	11.41
18	0401-फसल कृषि कार्य	14.38	14.38
19	0405-मत्स्य	10.42	10.25
20	0406-वानिकी एवं वन्य जीवन	27.69	27.69
21	0515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	35.66	35.66
22	0700-वृहत् सिंचाई	13.69	13.69
23	0701-मध्यम सिंचाई	11.65	11.65
24	0853-गैर लौह खनन एवं धातु उद्योग	997.60	918.17
25	1054-सड़क एवं सेतु	41.93	41.93
26	1475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	15.69	15.69
कुल		26,088.19	25,430.49
असमाशोधित व्यय			
1	2013- मंत्री परिषद	20.96	13.42
2	2014- न्याय प्रशासन	669.60	469.19
3	2015- निर्वाचन	212.32	206.66
4	2029- भू-राजस्व	429.69	422.28
5	2030- स्टाम्प तथा पंजीकरण	47.60	40.15
6	2039- राज्य उत्पाद	91.96	87.22
7	2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर	116.97	107.14
8	2041- वाहन कर	46.07	36.20

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
9	2049- ब्याज अदायगियाँ	8,190.66	617.88
10	2051- लोक सेवा आयोग	68.05	45.23
11	2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	284.45	50.15
12	2053- जिला प्रशासन	391.40	384.71
13	2054- कोषागार तथा लेखा प्रशासन	93.44	92.89
14	2055- पुलिस	5,343.99	4,522.54
15	2056- जेल	254.97	179.17
16	2059- लोक निर्माण कार्य	431.36	430.50
17	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	657.36	561.61
18	2071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	12,507.99	12,507.99
19	2202- सामान्य शिक्षा	18,959.52	17,900.87
20	2203- तकनीकी शिक्षा	107.40	103.92
21	2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएँ	40.09	39.50
22	2205- कला एवं संस्कृति	44.89	43.92
23	2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	4,189.12	4,167.06
24	2211- परिवार कल्याण	433.34	429.37
25	2215- जलापूर्ति तथा सफाई	1,202.23	1,193.77
26	2216- आवास	3,437.18	3,437.18
27	2217- शहरी विकास	2,823.86	2,352.37
28	2220- सूचना तथा प्रचार	132.46	128.07
29	2225- अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,226.95	2,225.51
30	2230- श्रम तथा रोजगार	387.80	376.99
31	2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4,923.52	4,914.97
32	2236- पोषण	955.20	940.45
33	2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	818.89	807.61
34	2251- सचिवालय सेवाएँ	52.17	35.25
35	2401- फसल कृषि-कर्म	930.43	918.79
36	2402- मृदा तथा जल संरक्षण	83.14	82.15
37	2403- पशुपालन	235.98	194.18
38	2404- डेयरी विकास	97.49	95.69
39	2405- मछली पालन	37.91	35.42
40	2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी	295.67	295.67
41	2408- खाद्य भंडारण एवं भांडागार	13.31	13.31
42	2415- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	456.19	454.70
43	2425- सहकारिता	149.59	19.92
44	2435- अन्य कृषि कार्यक्रम	13.48	12.59
45	2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	381.17	381.17
46	2505- ग्राम रोजगार	712.20	712.20
47	2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	7,256.49	7,256.42
48	2700- मुख्य सिंचाई	356.60	284.68
49	2701- मध्यम सिंचाई	93.93	83.83

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
50	2702- लघु सिंचाई	230.45	207.57
51	2705- कमान क्षेत्र विकास	107.81	107.44
52	2711- बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	259.47	229.90
53	2801- बिजली	7,540.69	2,826.93
54	2810- अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	157.60	35.47
55	2851- ग्राम तथा लघु उद्योग	69.68	65.06
56	2852- उद्योग	806.02	800.45
57	3054- सड़क तथा सेतु	1,775.64	1,759.08
58	3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	81.16	55.47
59	3452- पर्यटन	85.78	10.66
60	3454- जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	69.29	63.43
61	3456- सिविल पूर्ति	1,059.65	1,058.50
62	3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	61.20	61.20
63	4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	278.43	278.43
64	4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,003.76	1,003.76
65	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	802.87	791.25
66	4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	1,074.46	1,074.34
67	4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	870.43	870.43
68	4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	1,163.89	1,163.89
69	4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय	158.77	158.77
70	4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	21.43	21.43
71	4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	63.70	63.70
72	4250- अन्य समाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	239.81	239.81
73	4401- फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	61.58	61.58
74	4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	36.09	36.09
75	4425- सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	30.22	17.35
76	4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	7,891.74	7,891.74
77	4700- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	728.11	728.11
78	4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	43.83	43.83
79	4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	124.21	124.21
80	4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	899.53	899.53
81	4801- बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	5,738.56	1,418.58
82	4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	125.03	125.03
83	4859- दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	102.58	102.58
84	5053- नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय	275.07	275.07
85	5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	5,325.51	5,325.51
86	5452- पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	57.27	22.78
87	5465- सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	85.11	85.11
कुल		1,21,213.47	1,00,816.53

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट-2.16

(संदर्भ: कांडिका 2.7.2; पृष्ठ 39)

आधिक्य/अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (अनुदान संख्या-20)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	मूल + पूरक	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अ- अत्याधिक पूरक प्रावधान					
1	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ एलोपैथी-001-निदेशन एवं प्रशासन-0001-स्वास्थ्य निदेशालय	18.40	2.44	20.84	18.45
कुल अ		18.40	2.44	20.84	18.45
ब- अनावश्यक पूरक प्रावधान					
2	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0002-कुष्ठ निरोध कार्यक्रम	50.71	3.00	53.71	41.72
3	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-0001-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	886.02	70.50	956.52	824.52
4	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-110-अस्पताल तथा औषधालय-001-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	90.89	19.20	110.09	85.84
5	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-04-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-103-यूनानी-0001-यूनानी औषधालय	5.58	1.00	6.58	5.40
6	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0001-पटना मेडिकल कॉलेज	99.23	2.00	101.23	78.84
7	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0005-नालंदा मेडिकल कॉलेज	51.35	2.00	53.35	46.60
8	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-5-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0012-नर्स-प्रशिक्षण	10.95	0.83	11.78	7.88
9	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0013-फार्मसी-प्रशिक्षण	2.44	0.08	2.52	1.76
10	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0022-वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साइन्सेज, पावापुरी	18.05	1.87	19.92	15.20
11	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-001-निदेशन एवं प्रशासन-0001-अधीक्षण	9.10	2.50	11.60	8.85
12	2211-परिवार कल्याण-00-101-ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ-0001-ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	69.33	0.10	69.43	46.65
कुल ब		1,293.65	103.08	1396.73	1,163.26
कुल (अ+ब)		1,312.05	105.52	1,417.57	1,181.71

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा 2016-17, बिहार सरकार)

परिशिष्ट-2.17

(संदर्भ: कडिका 2.7.4; पृष्ठ 40)

31 मार्च 2017 को निधि का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	पत्र संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-001-निदेशन एवं प्रशासन -0001-स्वास्थ्य निदेशालय	20.84	2.75	133 (7) Q
2	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-001-निदेशन एवं प्रशासन-0002-जिला चिकित्सा पदाधिकारी	33.24	2.20	134(7) Q
3	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0001-पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल	180.14	23.64	136(1) B
4	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0002-दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल	89.86	3.42	116(1) B
5	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0004-नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल	79.29	5.30	140 (1) B
6	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0006-मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया	43.25	2.49	135 (1) B
7	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110- अस्पताल तथा औषधालय-0008- श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर	56.39	3.46	144(1) B
8	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110- अस्पताल तथा औषधालय-0009- भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर	71.78	4.69	145 (1) B
9	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110- अस्पताल तथा औषधालय-0010-इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना	32.92	7.04	144(1) B
10	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0011-संक्रामक रोग अस्पताल, पटना	2.62	0.45	130 (7) Q
11	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0012- राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना	4.76	0.35	118 (7) Q

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अर्भ्यपित राशि	पत्र संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110- अस्पताल तथा औषधालय-0013-सदर एवं अनुमंडल अस्पताल	481.02	50.96	119 (7) Q
13	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110- अस्पताल तथा औषधालय-0016-मानसिक आरोग्यशाला	15.00	11.00	139 (7) Q
14	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0021-वर्द्धमान इंस्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईन्सेज अस्पताल पावापुरी की स्थापना	19.03	13.56	139 (1) B
15	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ- 0001-यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम	56.28	4.02	142 (7) Q
16	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200- अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0002- कुष्ठ निरोध कार्यक्रम	53.71	3.71	117 (7) Q
17	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0005-अन्य औषधालय (स्थानीय औषधालय)	23.61	3.74	132 (7) Q
18	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0006-विधायक अस्पताल, पटना	1.60	0.12	122 (7) Q
19	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0008-रक्त भंडार	4.05	0.89	126 (1) B
20	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200- अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0111- एम्बुलेंस का परिचालन	25.00	0.80	125 (1) B
21	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200- अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0209- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1,000.00	149.00	46 (10) B
22	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200- अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0309- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	398.25	28.24	51 (10) B
23	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200- अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0310-राष्ट्रीय एड्स तथा यौन संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम	4.50	4.50	56 (10) B
24	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- एलोपैथी-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0301-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	15.00	5.05	50 (10) B

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	पत्र संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-0319-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	12.79	2.79	49 (10) B
26	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-101-आयुर्वेद-0001-देशी आयुर्वेदिक औषधीय विज्ञान निदेशालय	32.45	1.90	49 B
27	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-101-आयुर्वेद-0002-आयुर्वेदिक औषधियों की निर्माणशाला की स्थापना	2.33	0.48	50 (B)
28	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ- 101-आयुर्वेद-0004-राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल	6.31	0.60	51 (B)
29	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-200-अन्य पद्धतियाँ-0202-औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	13.47	13.47	62 (B)
30	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-200-अन्य पद्धतियाँ-0302-पौधों संबंधी मिशन औषधीय सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	8.00	8.00	63 (B)
31	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-101-स्वास्थ्य-उप-केन्द्र-0003-स्वास्थ्य उप-केन्द्र	61.77	5.34	127 (7) Q
32	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-0001-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	956.52	52.82	136 (7) Q
33	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0001-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	110.09	9.01	143 (7) Q
34	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0203-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1,012.99	142.88	47 (10) B
35	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0304-राष्ट्रीय एड्स तथा यौन संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम	4.50	4.50	55 (10) B
36	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-201-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	441.87	70.00	45 (10) B
37	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0301-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	12.91	2.91	48 (10) B

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अर्भ्यपित राशि	पत्र संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
38	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-04-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-101- आयुर्वेद-0002-ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय	18.53	0.73	52 B
39	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-04-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ- 102-होम्योपैथी- 0001-होम्योपैथी औषधालय	6.00	0.70	53 B
40	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-04-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ- -103-यूनानी- 0001-यूनानी औषधालय	6.58	0.78	54 B
41	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-04-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-200-अन्य पद्धतियाँ-0203-औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	10.98	10.98	64 B
42	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-04-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-200-अन्य पद्धतियाँ-0303-औषधालीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	8.30	8.30	65 B
43	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान -101- आयुर्वेद- 0001-आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगूसराय	5.20	0.26	55 B
44	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान -101-आयुर्वेद- 0002-आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना	13.52	0.36	56 B
45	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-101-आयुर्वेद-0003-आयुर्वेदिक कॉलेज, बक्सर	1.94	0.04	57 B
46	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-101-आयुर्वेद- 0004-आयुर्वेदिक कॉलेज, मोहनपुर, दरभंगा	1.82	0.27	58 B
47	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-101-आयुर्वेद-0005-आयुर्वेदिक कॉलेज, नाथनगर, भागलपुर	0.78	0.05	59 B
48	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-103-यूनानी -0001- तिब्बी कॉलेज	17.92	1.96	61 B
49	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान -105-एलोपैथी- 0001-पटना मेडिकल कॉलेज	101.23	22.33	138 (1) B
50	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0003-दरभंगा मेडिकल कॉलेज ,	66.57	4.42	118 (1) B
51	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी- 0005- नालंदा मेडिकल कॉलेज	53.35	6.75	137 (1) B
52	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान -105-एलोपैथी- 0007- मगध मेडिकल कॉलेज	32.69	1.52	143 (1) B

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	पत्र संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
53	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान -105-एलोपैथी- 0008- श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर	33.18	7.80	141 (1) B
54	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0009-दन्त महाविद्यालय, पटना	5.64	1.75	124 (1) B
55	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0010- भागलपुर मेडिकल कॉलेज	26.44	1.63	120 (1) B
56	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0011-महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिए विद्यालय	1.03	0.13	121 (1) B
57	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0013-फार्मसी-प्रशिक्षण	2.52	0.38	115 (1) B
58	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0017-इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना	145.50	18.00	132 (1) B
59	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0024- राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा	3.89	3.69	128 (1) B
60	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-001-निदेशन और प्रशासन-0001-अधीक्षण	11.60	0.82	137 (7) Q
61	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-003-प्रशिक्षण- 0002-जन स्वास्थ्य संस्थान	15.56	2.62	138 (7) Q
62	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण - 0002-राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	24.80	2.81	131(7)Q
63	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण - 0003-राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	37.27	9.63	140 (7) Q
64	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण - 0012-महादलित टोलों में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना।	3.00	0.82	124 (7) Q
65	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-102-, खाद्य अपमिश्रण का निवारण- 0001-खाद्य नियंत्रक स्थापना	3.24	0.78	125 (7) Q
66	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-104-औषध नियंत्रण-0001-औषध नियंत्रण स्थापना	15.42	2.20	121 (7) Q
67	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-107-लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ-0001- लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ	5.02	0.42	135 (7) Q
68	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-113-लोक स्वास्थ्य प्रचार- 0001-प्रशिक्षण एवं प्रसार आंदोलन	0.64	0.03	128 (7) Q

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अर्भ्यपित राशि	पत्र संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
69	2211-परिवार कल्याण-00-001-निदेशन और प्रशासन 0104-मानव संसाधन में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा	58.85	29.18	44 (12)
70	2211-परिवार कल्याण-00-003-प्रशिक्षण-0106-मानव संसाधन में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा	19.76	9.21	45 (12)
71	2211-परिवार कल्याण-00-004-अनुसंधान तथा मूल्यांकन-0102 -मानव संसाधन में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा	0.09	0.04	48 (12)
72	2211-परिवार कल्याण-00-101-ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ-0001-ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	69.43	24.03	50 (12)
73	2211-परिवार कल्याण-00-101-ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ-0105- मानव संसाधन में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा	372.68	31.74	46 (12)
74	2211-परिवार कल्याण-00-102-शहरी परिवार कल्याण सेवाएँ- 0102-मानव संसाधन में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा	6.77	3.64	47 (12)
75	2211-परिवार कल्याण-00-103-मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य - 0001-मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य	5.18	1.62	49 (12)
76	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-110-अन्य बीमा योजनाएँ-0204- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा।	285.85	285.85	43 (10) B
77	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम -110-अन्य बीमा योजनाएँ-0304-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	190.57	190.57	44 (10) B
78	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-051-निर्माण -0103-जिला चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय एवं आवासीय भवन का निर्माण	5.00	4.85	52 (10) B
79	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-110-अस्पताल तथा औषधालय-0110-इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना	2.00	0.20	127 (1) B
80	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-110-अस्पताल तथा औषधालय-0111-मेडिकल कॉलेज अस्पताल	50.00	2.96	119 (1) B
81	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-110-अस्पताल तथा औषधालय-0113-जिला एवं अनुमंडलीय अस्पताल भवनों का निर्माण, जीर्णोद्धार	30.00	5.16	53 (10) B
82	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-051-निर्माण - 0105-स्वास्थ्य उपकेन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन)	5.00	0.32	54 (10) B

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	पत्र संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
83	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-110-अस्पताल तथा औषधालय-0101-आयुष कॉलेज, अस्पताल एवं औषधालय	1.00	1.00	122 (1) B
84	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-050-भूमि-0103-नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु	120.00	25.00	131 (1) B
85	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-051-निर्माण-0201-मानव संसाधनों में स्वास्थ्य एवं लोक शिक्षा	42.00	42.00	117 (1) B
86	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0111-डेन्टल कॉलेज एवं अस्पताल	0.01	0.01	129 (1) B
87	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0101-मेडिकल कॉलेज	560.00	0.23	133(1) B
	कुल	7,892.49	1,416.65	

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा, 2016-17, बिहार सरकार तथा अभ्यर्पण पत्र)

परिशिष्ट-2.18

(संदर्भ: कडिका 2.7.5; पृष्ठ 40)

भाग अ: निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण 100 प्रतिशत राशि का अभ्यर्पण
(अनुदान संख्या-20)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल + पूटक)	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण (प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी- 200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ -0310-राष्ट्रीय एड्स तथा यौन संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम	4.50	4.50	100
2	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य - 02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ -अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-200-अन्य पद्धतियाँ- 0202-औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	13.47	13.47	100
3	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य - 02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ -अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-200-अन्य पद्धतियाँ- 0302-औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	8.00	8.00	100
4	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य -03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी -110-अस्पताल तथा औषधालय - 0304-राष्ट्रीय एड्स तथा यौन संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम	4.50	4.50	100
5	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य -04-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ, अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-200-अन्य पद्धतियाँ -0203-औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	10.98	10.98	100
6	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य -04-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ, अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-200-अन्य पद्धतियाँ -0303-औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	8.30	8.30	100
7	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण- 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम- 110-अन्य बीमा योजनाएँ- 0204- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	285.85	285.85	100
8	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण- 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम - 110-अन्य बीमा योजनाएँ - 304- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	190.57	190.57	100
9	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ -051-निर्माण - 0103- जिला चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय तथा भवन का निर्माण	5.00	5.00	100
10	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-110-अस्पताल औषधालय - 0101-आयुष कॉलेज अस्पताल एवं औषधालय	1.00	1.00	100
11	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 03-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-051-निर्माण- 0201-स्वास्थ्य तथा लोक शिक्षा में मानव संसाधन	42.00	42.00	100
	कुल	574.17	574.17	100

भाग ब: निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण 50 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक राशि का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल +पूरक)	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण (प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य - 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी - 110-अस्पताल तथा औषधालय - 0016-मानसिक आरोग्यशाला।	15.00	11.00	73.33
2	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य - 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी - 110-अस्पताल तथा औषधालय - 0021-वर्द्धमान इंस्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साइन्सेज, पावापुरी की स्थापना	19.03	13.56	71.26
3	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य - 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी - 200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ- 0209 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1000.00	749.00	74.90
4	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य - 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी - 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - 0201 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	200.00	100.00	50.00
5	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-789-अस्पताल तथा औषधालय- 0301-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	15.00	14.83	98.86
6	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0203-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1012.99	749.53	73.99
7	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ- एलोपैथी-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक-0201-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	441.87	324.00	73.32
8	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी -0024-राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा।	3.89	3.69	94.86
9	2211-परिवार कल्याण-00-102-शहरी परिवार कल्याण सेवाएँ-0102-स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	6.77	3.64	53.77
10	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान -050-भूमि-0103 नए चिकित्सा महाविद्यालयों एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु।	120.00	100.00	83.33
11	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0112- ऑकजेलरी नर्सिंग मिडवाइफरी (ए0एन0म0) एवं जेनरल नर्सिंग मिडवाइफरी (जी0एन0म0) स्कूल	140	80.00	57.14
12	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0119-बी0 एस0 सी0 नर्सिंग कॉलेज	60.00	30.00	50.00
	कुल	3,034.55	2,179.25	71.81

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा, 2016-17, बिहार सरकार)

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: कंडिका 3.1.1; पृष्ठ 43)

विगत तीन वित्तीय वर्षों से अपरिचालित पी0डी0 खाते

क्रम सं0	कोषागार का नाम	अपरिचालित पी0डी0 खातों की सं0
1	अररिया	01
2	औरंगाबाद	01
3	बगहा	01
4	बाँका	01
5	बाढ़	01
6	बारसोई	01
7	बेगूसराय	04
8	बेनीपुर	01
9	बेतिया	02
10	भागलपुर	02
11	भोजपुर	01
12	वीरपुर	01
13	बक्सर	01
14	दानापुर	02
15	दरभंगा	01
16	दाऊदनगर	01
17	फारबिसगंज	01
18	जमुई	02
19	जहानाबाद	01
20	झंझारपुर	02
21	कटिहार	02
22	किशनगंज	01
23	लखीसराय	02
24	मधुबनी	02
25	नरकटियागंज	01
26	नवादा	03
27	निर्मली	01
28	पटना	02
29	पटना सिटी	01
30	रोहतास	04
31	सहरसा	02
32	सारण	01
33	शेखपुरा	02
34	शिवहर	01
35	शेरघाटी	01
36	सीतामढ़ी	02
37	सिवान	03
38	तेघड़ा	01
	योग	60

(स्रोत: वित्त लेखा 2016-17)

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: कांडिका 3.3; पृष्ठ 44)

लघु शीर्ष 800- 'अन्य प्राप्तियों' का परिचालन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों से लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत हुए प्राप्तियों की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	0029	भू-राजस्व	971.12	805.01	82.90
2	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	939.91	133.37	14.19
3	0055	पुलिस	42.16	19.30	45.78
4	0059	लोक निर्माण	8.35	8.35	100.00
5	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	99.88	84.02	84.12
6	0202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	17.09	4.88	28.55
7	0210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	39.94	24.19	60.57
8	0215	जलापूर्ति तथा सफाई	3.46	2.01	58.09
9	0217	शहरी विकास	0.71	0.71	100.00
10	0220	सूचना एवं प्रचार	0.28	0.16	57.14
11	0230	श्रम एवं रोजगार	11.41	9.12	79.93
12	0235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0.21	0.21	100.00
13	0401	फसल कृषि कर्म	14.38	5.17	35.95
14	0403	पशुपालन	0.80	0.12	15.00
15	0405	मछली पालन	10.42	1.08	10.36
16	0506	भूमि सुधार	0.18	0.19	105.56 [#]
17	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	35.66	21.90	61.41
18	0702	लघु सिंचाई	2.89	1.12	38.75
19	0851	ग्राम एवं लघु उद्योग	0.04	0.03	75.00
20	0852	उद्योग	0.09	0.08	88.89
21	1053	नागर विमानन	4.03	3.45	85.61
22	1054	सड़क एवं सेतु	41.93	13.16	31.39
23	1452	पर्यटन	1.57	1.57	100.00
24	1456	सिविल पूर्ति	0.07	0.07	100.00

[#] मुख्य शीर्ष 0506 के अंतर्गत ₹ 0.01 करोड़ की लेखा में वापसी सम्मिलित है, इसलिए प्रतिशत 100 से अधिक है।

(स्रोत: वित्त लेखा, 2016-17)

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: कांडिका 3.3; पृष्ठ 44)

लघु शीर्ष 800-‘अन्य व्यय’ का परिचालन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के तहत व्यय	कुल व्ययों से लघु शीर्ष 800 के तहत व्यय की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	2.00	12.96	648.00
2	2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	295.67	95.43	32.28 [#]

[#] लेखा में ₹ 15.14 करोड़ की वसूलियाँ सम्मिलित है इसलिए प्रतिशत 100 से अधिक है।
(स्रोत: वर्ष 2016-17 के लिये लेखे की टिप्पणियाँ)

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4; पृष्ठ 45)

31.12.2017 को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम वार बकाये लेखे

क्रम सं०	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	जिस वर्ष के लेखे बकाये में थे	बकाया लेखाओं की सं०
1	2	3	4
(अ) कार्यशील कम्पनियाँ			
1 से 5 वर्ष			
1	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	2016-17	1
2	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	2016-17	1
3	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2016-17	1
4	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16 और 2016-17	2
5	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड	2015-16 और 2016-17	2
6	बिहार राज्य बिचरेजेज निगम लिमिटेड	2015-16 और 2016-17	2
7	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2015-16 और 2016-17	2
8	बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड	2014-15 से 2016-17	3
9	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2014-15 से 2016-17	3
10	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड	2013-14 से 2016-17	4
11	पीरपैती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2013-14 से 2016-17	4
12	लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2013-14 से 2016-17	4
13	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2012-13 से 2016-17	5
14	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	2012-13 से 2016-17	5
कुल			39
5 वर्ष से उपर			
1	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	2006-07 से 2016-17	11
2	बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	2001-02 से 2016-17	16
3	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2000-01 से 2016-17	17
4	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1998-99 से 2016-17	19
5	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	1994-95 से 2016-17	23
कुल			86
कुल (अ)			125

क्रम सं०	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	जिस वर्ष के लेखे बकाये में थे	बकाया लेखाओं की सं०
1	2	3	4
(ब) कार्यशील सांविधिक निगम			
5 वर्ष से ऊपर			
1	बिहार राज्य भण्डारण निगम	2011-12 से 2016-17	6
2	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2006-07 से 2016-17	11
कुल (अ)			17
कुल (अ + ब)			142
(स) अकार्यशील कम्पनियाँ (समापन की प्रक्रिया से अलग)			
1 से 5 वर्ष			
1	बिहार राज्य एग्रो इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	2016-17	1
2	स्काडा एग्रो बिजनेस निगम लिमिटेड	2015-16 और 2016-17	2
5 वर्ष से ऊपर			
1	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2009-10 से 2016-17	8
2	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	2003-04 से 2016-17	14
3	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2001-02 से 2016-17	16
4	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2001-02 से 2016-17	16
5	बिहार राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड	1998-99 से 2016-17	19
6	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	1995-96 से 2016-17	22
7	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1993-94 से 2016-17	24
8	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी लिमिटेड, खगौल	1993-94 से 2016-17	24
9	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी लिमिटेड, डीहरी	1993-94 से 2016-17	24
10	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी लिमिटेड, आरा	1993-94 से 2016-17	24
11	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी लिमिटेड, औरंगाबाद	1993-94 से 2016-17	24
12	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी लिमिटेड, मोहनियाँ	1993-94 से 2016-17	24
13	स्काडा एग्रो वन कंपनी लिमिटेड, खगौल	1993-94 से 2016-17	24
14	बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड	1990-91 से 2016-17	27
15	बेलट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड	1990-91 से 2016-17	27
16	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	1989-90 से 2016-17	28
17	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	1988-89 से 2016-17	29
18	बिहार कीटनाशक लिमिटेड	1987-88 से 2016-17	30
19	बेलट्रॉन इनफॉरमेटिक्स लिमिटेड	1988-89 से 2016-17	30
20	बिहार राज्य सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड	1987-88 से 2016-17	30
21	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1986-87 से 2016-17	31
22	बिहार राज्य ग्लेज्ड टाईल्स एवं सिरामिक्स लिमिटेड	1986-87 से 2016-17	31
23	बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड	1986-87 से 2016-17	31
24	झंझारपुर पेपर उद्योग लिमिटेड	1986-87 से 2016-17	31

क्रम सं०	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	जिस वर्ष के लेखे बकाये में थे	बकाया लेखाओं की सं०
1	2	3	4
25	भवानी ऐक्टिव कार्बन लिमिटेड	1986-87 से 2016-17	31
26	बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड	1986-87 से 2016-17	31
27	विश्वामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड	1985-86 से 2016-17	32
28	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1985-86 से 2016-17	32
29	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	1985-86 से 2016-17	32
30	बिहार मेज प्रोडक्ट्स लिमिटेड	1984-85 से 2016-17	33
31	सिन्थेटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लिमिटेड	1984-85 से 2016-17	33
32	मगध मिनरल लिमिटेड	1984-85 से 2016-17	33
33	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	1984-85 से 2016-17	33
34	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	1983-84 से 2016-17	34
35	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड	1981-82 से 2016-17	36
36	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	1979-80 से 2016-17	38
37	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	1977-78 से 2016-17	40
कुल (स)			1,029
कुल (अ + ब + स)			1,171

परिशिष्ट-3.5

(संदर्भ: कड़िका 3.5; पृष्ठ 46)

लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विभागानुसार राशि

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विभाग का नाम	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	लंबित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कृषि विभाग	65	553.25
2	पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग	41	528.21
3	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	64	14.49
4	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	34	3,078.98
5	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	4	2.04
6	सहकारिता विभाग	22	47.49
7	आपदा प्रबंधन विभाग	81	547.38
8	शिक्षा विभाग	415	8,447.53
9	ऊर्जा विभाग	22	70.80
10	पर्यावरण एवं वन विभाग	1	2.00
11	वित्त विभाग	32	287.61
12	सामान्य प्रशासन विभाग	13	9.35
13	स्वास्थ्य विभाग	10	230.77
14	गृह (जेल) विभाग	2	0.06
15	गृह (विशेष) विभाग	8	0.54
16	उद्योग विभाग	54	60.11
17	सूचना प्रावैधिकी विभाग	6	31.98
18	श्रम संसाधन विभाग	18	16.76
19	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	17	5.24
20	विधि विभाग	7	4.07
21	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	19	3.06
22	पंचायती राज विभाग	249	8,755.54
23	योजना एवं विकास विभाग	8	72.09
24	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	4	16.16
25	ग्रामीण विकास विभाग	74	4,184.40
26	ग्रामीण (कार्य) विभाग	8	8.94
27	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग	70	1,351.23
28	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	5	1.40
29	समाज कल्याण विभाग	118	3,575.51
30	गन्ना विभाग	16	85.44
31	नगर विकास विभाग	616	3,639.20
32	जल संसाधन विभाग	4	45.78
	योग	2,107	35,677.41

(स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट-3.6

(संदर्भ: कडिका 3.7; पृष्ठ 52)

सरकारी कर्मियों एवं सांविधिक निगमों से संबंधित 31 मार्च 2017 को बकाया अंश, ऋण एवं प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	(अ) कार्यशील सरकारी कंपनियाँ	वित्त लेखे के अनुसार			कंपनी के अनुसार			अंतर		
		अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	
1	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2.28	2.03	0	2.28	27.93	0	0	-25.9	0
2	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	12.14	26.8	0	15.12	20.47	0	-2.98	6.33	0
3	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	21.48	0	16.31	23.36	0	15.6	-1.88	0	0.71
4	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड	228.95	5.6	47.25	40.11	5.6	20.62	188.84	0	26.63
5	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	1	0.48	0	1	0.5	0	0	-0.02	0
6	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	0.25	0	0	0.1	0.43	0	0.15	-0.43	0
7	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	3.5	0	0	3.5	0	0	0	0	0
8	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	0	0	0	5	0	0	-5	0	0
9	बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड	20	0	43	20	0	43	0	0	0
10	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	0	0	0	5	0	0	-5	0	0
11	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	20	0	0	20	0	0	0	0	0
12	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	5.65	6.24	0	25	0	0	-19.35	6.24	0
13	बिहार राज्य बिबरेजेज निगम लिमिटेड	0	0	0	5	0	0	-5	0	0
14	बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	102.02	463.71	0	99.04	223.09	243.34	2.98	240.62	-243.34

क्रम सं०	(अ) कार्यशील सरकारी कंपनियाँ	वित्त लेखे के अनुसार		कंपनी के अनुसार		अंतर		
		अंश	ऋण	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति
15	बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड	14,605.10	15,802.91	21,127.91	66.14	-6,522.81	15,736.77	0
16	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0
17	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	0	0	0	340.55	0	-340.55	0
18	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	0	0	0	383.27	0	-383.27	0
19	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	0	0	0	122.57	0	-122.57	0
20	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	4.16	0	5	0	-0.84	0	0
21	बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	0.02	1,440.71	5.27	2,180.48	-5.25	-739.77	500
22	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	0	0	6.74	0	-6.74	0	0
23	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड	0	0	0.34	0	-0.34	0	0
24	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	0.12	0	0.36	0	-0.24	0	0
	कुल (अ)	15,026.67	17,748.48	21,410.13	3,371.03	-6,383.46	14,377.45	284.00
	(ब) कार्यशील सांविधिक निगम							
1	बिहार राज्य वित्त निगम	23.09	213.97	39.95	228.47	-16.86	-14.5	127.47
2	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	81.74	874.8	74.75	866.03	6.99	8.77	0
3	बिहार राज्य भण्डारण निगम	0.8	0	3.2	0	-2.4	0	164.04
	कुल (ब)	105.63	1,088.77	117.9	1,094.5	-12.27	-5.73	291.51
	कुल (अ + ब)	15,132.30	18,837.25	21,528.03	4,465.53	-6,395.73	14,371.72	575.51

क्रम सं०	(स) अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ	वित्त लेखे के अनुसार			कंपनी के अनुसार			अंतर		
		अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति
1	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1.75	2.6	0	3.7	2.6	0	-1.95	0	0
2	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	9.87	0	0	9.97	0	0	-0.1	0	0
3	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2.19	3.34	0	1.75	0	0	0.44	3.34	0
4	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	12.19	42.09	0	10	49.68	0	2.19	-7.59	0
5	बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड	0	1.95	0	6.72	0	0	-6.72	1.95	0
6	बिहार हिल एरिया लिपट सिंचाई निगम लिमिटेड	9.94	3.5	0	10.82	8.55	0	-0.88	-5.05	0
7	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	4.94	1.95	0	5.12	12.6	0	-0.18	-10.65	0
8	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	1.64	23.12	0	1.61	1.42	0	0.03	21.7	0
9	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	0.98	0.07	0	2.01	0	0	-1.03	0.07	0
10	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	11.42	1.31	0	10	1.16	0	1.42	0.15	0
11	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	0.63	4.41	0	7.18	10.4	0	-6.55	-5.99	0
12	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	3.18	86.3	0	14.04	66.54	0	-10.86	19.76	0
13	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	4.9	3.3	0	7	3.38	0	-2.1	-0.08	0
14	बिहार सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड	0.2	0.01	0	0.2	0	0	0	0.01	0
15	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	20	0	0	20	322.95	0	0	-322.95	0
16	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड	0	0	0	0	0.03	0	0	-0.03	0

क्रम सं०	(स) अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ	वित्त लेखे के अनुसार			कंपनी के अनुसार			अंतर		
		अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति
17	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	9.57	12.35	0	15.78	4.25	0	-6.21	8.1	0
18	बिहार मेज प्रोडक्ट्स लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड	0	0	1.25	0	1.28	0	0	-1.28	1.25
20	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	15.81	2.45	0	10.78	2.27	0	5.03	0.18	0
21	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	2.27	0.94	0	2	1.22	0	0.27	-0.28	0
22	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	0	0.01	0	0	0	0	0	0.01	0
23	बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड	0	0	0	0	9.18	0	0	-9.18	0
24	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड	10.43	13.26	0	17.4	12.43	0	-6.97	0.83	0
25	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	0	0	0	0	6.09	0	0	-6.09	0
	कुल (स)	121.91	202.96	1.25	156.08	516.03	0	-34.17	-313.07	1.25
	कुल (अ + ब + स)	15,254.21	19,040.21	4,134.95	21,684.11	4,981.56	3,558.19	-6,429.90	14,058.65	576.76